

प्रकाशन क्र.

शासकीय उपयोग हेतु



ભારતા જાનાજાતિ કા માનવ શારૂણીય અધ્યયન



આદિમજાતિ અનુયંધાન એવં પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન
ક્ષેત્રીય ઈકાઈ, બાટાર-જગદલપુર (છ.ગ.)

भतरा जनजाति का मानव शास्त्रीय अध्ययन

मार्गदर्शन : डॉ. टी. राधाकृष्णन आई.ए.एस.

निर्देशक : एम. एल पंसारी

अध्ययन एवं प्रतिवेदन : डॉ. रघुनंद्र कवि

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
क्षेत्रीय ईकाई, बरतार-जगदलपुर (छ.ग.)



अनुक्रमणिका

क्रं	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	अध्याय — एक	पृष्ठभूमि	1—5
2	अध्याय — दो	भौतिक संस्कृति	6—22
3	अध्याय — तीन	जीवन संस्कार	23—32
4	अध्याय — चार	सामाजिक संरचना	33—46
5	अध्याय — पाँच	राजनीतिक संगठन	47—51
6	अध्याय — छ	धार्मिक जीवन	52—57
7	अध्याय — सात	लोक परम्परायें	58—60
8	अध्याय — आठ	आर्थिक जीवन	61—72
9	अध्याय—नौ	शैक्षणिक स्थिति	73—75
10	अध्याय— दस	परिवर्तन एवं समस्याएं	76—82



अध्याय - एक

पृष्ठभूमि**1.1. प्रस्तावना**

भारत की जनसंख्या का कुछ भाग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से दूर, वन, पहाड़ों, घाटियों, तराईयों तथा तटीय क्षेत्रों में विशिष्ट जीवन शैली, रहन—सहन, संस्कृति को अपनाये हुए निवासरत् है। बाह्य समाज इन्हें नेटिव, वनवासी, वन्यजनजाति, देशज, आदिमजनजाति, जनजाति, आदिवासी आदि नामों से पहचान करता है जबकि उन समुदायों का विशिष्ट नाम, निवास क्षेत्र, विशिष्ट संस्कृति पायी जाती है। राष्ट्र की स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान में इन समाजों के विकास की दृष्टि से एवं राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष संरक्षी एवं विकासीय प्रावधान किये गये। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत् भारत सरकार द्वारा राज्यों के लिए अनुसूचित जनजाति समूह की सूची जारी किया गया। इन सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का सृजन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1 नवम्बर 2000 को गठित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत् जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 42 जनजाति समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। इस सूची में भतरा जनजाति अनुक्रमांक 6 पर अंकित है। भतरा जनजाति छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य में निवासरत् है। भतरा छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर संभाग (वर्तमान एवं पड़ोसी जिलों) में निवासरत् हैं।

1.2 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं—

1. भतरा जनजाति का मानवशास्त्रीय (सामाजिक—आर्थिक—सांस्कृतिक) अध्ययन करना।
2. भतरा जनजाति में विकास एवं परिवर्तन का अध्ययन करना।

1.3 अध्ययन प्रविधि

1. ग्राम एवं परिवार चयन

प्रस्तुत अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के भतरा जनजाति बहुल ग्रामों में क्षेत्रीय अध्ययन कार्य किया गया। उद्देश्य मूलक विधि से बस्तर जिले के भतरा बाहुल्य तहसील बकावण्ड व जगदलपुर के 10 ग्रामों का चयन दैव निर्दर्शन विधि से प्रत्येक ग्रामों से 20–20 परिवारों का चयन किया गया। इस प्रकार बस्तर जिले के 10 ग्रामों में निवासरत 200 परिवारों का अध्ययन किया गया।

2. तथ्यों का संकलन

प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथ्यों का संकलन अर्धसहभागी अवलोकन, साक्षात्कार, वंशावली तथा अनुसूची प्रविधि द्वारा किया गया। पारिवारिक सूचनाओं के संकलन हेतु परिवार अनूसूची तथा सामुदायिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग किया गया।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन प्रकाशित शोध ग्रंथों, जनगणना तथा शासकीय प्रतिवेदनों से किया गया, तत्पश्चात् प्राप्त तथ्यों का संपादन, विश्लेषण एवं सारणीयन कर प्रतिवेदन लेखन किया गया।

1.4 भतरा जनजाति : परिचय एवं उत्पत्ति

भतरा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव है। भतरा की तीन उपजनजातियाँ— पीता, अमनीत एवं सान हैं। रसेल एवं हीरालाल के स्वतंत्रता पूर्व ग्रंथ “The Tribes and Castes of the Central Provinces of India” (1916) Vol. II के अनुसार “The word Bhatra is said to mean a servant, and the tribe are employed as village watchmen and household and domestic servant. They have three divisions, the Pit, Aminait and San Bhatras, who rank one below the other, the Pit being the highest and the San the lowest. The Pit Bhatras base their superiority on the fact that they decline to make grass mats, which the Amnait Bhatras will do, while the

San Bhatras are considered to be practically identical with the Muria Gonds”

भतरा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ समाज में प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार— मुगल शासकों से परास्त होकर जब काकतीय वंशीय अन्नमदेव राजा अपने अनुचरों के साथ वारंगल से बस्तर के दंतानगर पहुंचे। उनके शासन काल में दंतानगर से माई दंतेश्वरी का आगमन हुआ। राजा अन्नमदेव के साथ मुरिया, गोंड, भतरा, परजा व अन्य जनजाति के लोग भी साथ आये। राजा अन्नमदेव ने बस्तर को अपना राज्य बनाया। राजा ने बस्तर में अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गांव—गांव में देवी—देवताओं का मंदिर बनवाया तथा धाकड़ व अन्य जनजाति के लोगों को पुजारी नियुक्त किया। कुछ समय उपरांत उनके गांवों में दैवीय प्रकोप के कारण मनुष्यों तथा पशुओं की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा, मंत्री तथा राजदरबारियों ने विचार—विमर्श किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि गांव के मंदिरों में देवी—देवताओं की पूजा—अर्चना विधि—विधान से न होने के कारण संकट उत्पन्न हुआ है। अतः नये पुजारियों की नियुक्ति कर देवी—देवताओं की विधि—विधान से पूजा किया जाये। इसके पश्चात् राजा ने अपने साथ वारंगल से आये भतरा जनजाति के लोगों को पुजारी बनाया। भतरा जनजाति के सद् आचरण के कारण “भद्र” फिर कालन्तर में “भदर” और परिवर्तन होते—होते भतरा जनजाति नाम प्रचलन में आया। वर्तमान में भतरा जनजाति के सदस्य धार्मिक प्रवृत्ति के होने और अच्छे संख्या में शिक्षा ग्रहण करने के कारण “जनेऊ” या यज्ञोपवित धारण करने लगे हैं व बहुतायात में हिन्दू संस्कारों को भी आत्मसात करने लगे हैं। वर्तमान में भी बस्तर जिले के जिन गांवों में भतरा जनजाति के सदस्य ज्यादा संख्या में निवासरत् है वहां उन लोगों को ही पुजारी बनाया गया है।

1.5 बोली भतरा जनजाति के सदस्य “भतरी” बोली का प्रयोग करते हैं। यह बोली आस्ट्रिक—मुण्डा भाषा परिवार के अंतर्गत आती है।

1.6 जनसंख्या

1. कुल जनसंख्या

भतरा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में निवासरत है। भतरा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन हेतु किये गये सर्वेक्षण वर्ष 2014 के अनुसार सर्वेक्षित परिवारों में भतरा जनजाति की जनसंख्या सारणी क्रमांक 1.1 में प्रदर्शित है—

सारणी क्र. 1.1 सर्वेक्षित परिवारों में जनसंख्या का विवरण

क्र.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम	जनसंख्या		योग	
				पुरुष	महिला	संख्या	प्रतिशत
1	बस्तर	जगदलपुर	नियानार	35	38	73	8.37
2			सेमरा	46	43	89	10.21
3			बालीकोटा	49	43	92	10.55
4			माड़पाल	41	46	87	9.98
5			आमागुड़ा	47	44	91	10.44
6		बकावण्ड	ढोढरेपाल	47	50	97	11.12
7			कोसमी	45	36	81	9.29
8			राजनगर	44	27	71	8.14
9			सरगीपाल	49	44	93	10.67
10			देवड़ा	50	48	98	11.24
योग				453	419	872	100.00

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि भतरा जनजाति की कुल सर्वेक्षित जनसंख्या 872 में से 51.95 प्रतिशत जनसंख्या पुरुष व 48.05 प्रतिशत स्त्री जनसंख्या है। जिसमें से सर्वाधिक 11.24 प्रतिशत ग्राम देवड़ा विकासखण्ड बकावण्ड तथा न्यूनतम 8.14 प्रतिशत ग्राम राजनगर विकासखण्ड बकावण्ड में निवासरत है।

2. सर्वेक्षित जनसंख्या

सर्वेक्षित भतरा जनजाति परिवारों की जनसंख्या सारणी क्रमांक 1.2 में दर्शाया गया है।

सारणी क्र.1.2 सर्वेक्षित भतरा परिवारों में जनसंख्या का विवरण

क्र.	व्यक्तियों की संख्या	योग	प्रतिशत
1	महिला	419	48.05
2	पुरुष	453	51.95
	योग	872	100.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल 200 सर्वेक्षित भतरा परिवारों में कुल 872 सदस्य निवासरत हैं जिसमें 51.95 प्रतिशत (453) पुरुष व 48.05 प्रतिशत (419) महिला सदस्य हैं।

3. उम्र-लिंग अनुसार जनसंख्या

सारणी क्र. 1.3 सर्वेक्षित परिवारों में उम्र-लिंग अनुसार जनसंख्या विवरण

क्र.	उम्र वर्ग (वर्ष में)	पुरुष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	0-05	55	13.45	56	12.79	111	13.11
2	06-14	85	20.78	91	20.78	176	20.78
3	15-21	37	9.05	34	7.76	71	8.38
4	22-35	138	33.74	153	34.93	291	34.36
5	36-50	65	15.89	78	17.81	143	16.88
6	51-60	22	5.38	19	4.34	41	4.84
7	60 से अधिक	7	1.71	7	1.60	14	1.65
	योग	409	100.00	438	100.00	847	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित भतरा परिवारों में सर्वाधिक 34.36 प्रतिशत (सं. 291) जनसंख्या 22–25 वर्ष उम्र समूह के हैं तथा सबसे कम 1.65 प्रतिशत (सं. 14) जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक उम्र समूह के हैं।

4. लिंगानुपात

सर्वेक्षित भतरा जनजातीय परिवारों में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 1071 महिलाएं पाई गई हैं।

अध्याय - दो

भौतिक संस्कृति

भतरा जनजातीय समुदाय, बस्तर जिले के पूर्वी मैदानी तथा वन क्षेत्रों में निवास करती है, इस कारण उनके सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक एवं भौतिक संस्कृति में पर्यावरण का प्रभाव दिखाई देता है। भतरा जनजाति की भौतिक संस्कृति निम्न है :-

2.1 ग्राम

भतरा जनजाति के ग्राम नदी-नाला एवं वन के समीप बसा हुआ है। भतरा जनजाति के सदस्य ग्राम में मुरिया, हलबा, धुरवा, परजा, गोंड, माहरा, पनका, मिरघान, राउत, सुंडी आदि जनजाति के साथ निवास करते हैं, किन्तु इनके मुहल्ले पृथक हैं।

भतरा ग्रामों की बनावट गोलाकार या दीर्घवृत्तीय है, जिसमें एक चौड़ा कच्चा मुख्य मार्ग होता है, जिससे कई गलियां अलग-अलग मुहल्ले में जाती हैं। गलियों के दोनों ओर मकान होते हैं। भतरा ग्रामों में आम, इमली, साल, महुआ, बरगद, पीपल, नीम, जामुन आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

ग्राम के मुख्य या मध्य स्थल में सांस्कृतिक भवन, सामुदायिक भवन, बाजार, स्कूल, शासकीय अस्पताल, राशन दुकान आदि स्थित होते हैं। ग्राम के किनारे या मध्य में देवगुड़ी होता है, जिसमें ग्राम देवी-देवता की मूर्ति स्थापित होती है। श्मसान बस्ती से बाहर नदी या नाले के समीप होता है। पूर्व में भतरा जनजाति के सदस्य लकड़ी से निर्मित कुंआ, डोढ़ी, नदी-नाले का पानी पीते थे, वर्तमान में हैण्डपम्प एवं नल (पाईप लाईन) के जल का उपयोग करने लगे हैं।

2.2 आवास

भतरा जनजाति का आवास चारों ओर से लकड़ी के खंबे या झाड़ियों या बांस की बाड़ी या मिट्टी की चारदीवारी से घिरा होता है। सामने की ओर आंगन रहता है, जिससे लगा हुआ मुख्य घर व थोड़ा दूर में “कोठा” (पशुशाला) तथा “छेली कोठरली” (बकरी रखने का कक्ष) होता है। आंगन ही “कुकड़ा कोंठी” (मुर्गा-मुर्गी रखने का

स्थान) “बराहागुड़ा” (सुअर रखने का स्थान) होता है। भतरा आवास में की संरचना का विवरण निम्नानुसार है :—

अ. परछी (बरामदा) भतरा जनजाति के आवास में आंगन से घर में प्रवेश करने पर प्रथम कक्ष “परछी” होता है, यह लम्बा होता है। इसके दो भाग होते हैं। एक भाग में “रसोई” तथा दूसरे भाग में बैठक तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु स्थान होता है। इससे लगा दो “बाकरा” (कमरा) होता है।

ब. प्रथम कमरा — इसके दो भाग होते हैं एक भाग में भंडारण हेतु धान कोठी तथा दूसरे भाग में देवी—देवता का चबूतरा होता है।

स. द्वितीय कमरा— यह शयन कक्ष होने के साथ—साथ कपड़े व अन्य सामान रखने का कमरा होता है।

2.2.2 आवास निर्माण— आवास निर्माण की निम्न प्रक्रिया है—

अ. भूमि चयन —आवास निर्माण हेतु पानी, आवागमन तथा बाड़ी हेतु पर्याप्त जगह देखकर घर बनाने हेतु स्थल चयन करते हैं। चयनित भूमि को पुजारी, सिरहा (बैगा) या गुनिया को शुभाते हैं, अर्थात् चयनित भूमि पर आवास निर्माण करने से पूर्व परिवार पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का आंकलन करवाते हैं। चयनित भूमि की उपयुक्तता जांच करने हेतु चयनित स्थल में एक हाथ लम्बा, चौड़ा तथा गहरा गड्ढा खोदकर पानी भर देते हैं, यदि पानी देर से सूखता है तो शुभ मानते हैं और यदि पानी जल्दी सूख जाता है तो उस भूमि को आवास निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं मानते हैं। आवास “डांड” (ग्रामीणों के अनुसार देव / देवी के आगमन का मार्ग) को छोड़कर बनाया जाता है। परिवार में सदस्यों की संख्या तथा आवश्यकतानुसार आवास बनाया जाता है।

ब. निर्माण —आवास निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व परिवार का मुखिया, सिरहा या पुजारी की सहायता से घर निर्माण में प्रयुक्त ईंट, देवता एवं धरती की, चाँवल, नारियल, सिंदूर (लाली), दीप, होम, धूप से पूजा करते हैं। भतरा जनजाति के आवास का मुख्य द्वार दक्षिण या उत्तर दिशा में बनाते हैं। आवास में प्रवेश एवं निकास के लिये एक ही द्वार होता है।

आवास निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व एक स्थान पर आम की लकड़ी का खूंटा गाड़ देते हैं, यह आम की लकड़ी का खूंटा पूजा कक्ष हेतु तथा स्थान पर ही गड़ाते हैं। इसके पश्चात् भूमि पर रस्सी एवं फावड़े की सहायता से नींव हेतु निशान चिह्नित कर लिया जाता है तथा पानी डालकर फावड़े की सहायता से $1^{1/2}$ से 2 फीट गहरा “पाया” (नींव) खुदाई करते हैं। इसके पश्चात् मिट्टी में धान का “खड़” (पैरा या पुआल) एवं पानी मिलाकर पैर से दबाते हैं तथा अच्छी तरह मिल जाने के बाद मिट्टी का गोला बनाकर नींव को भरते हैं तथा पैर से दबाते हैं। नींव भरने के बाद चारों ओर लगभग एक फिट ऊँची दीवार बनाते हैं और अंदर मिट्टी भर देते हैं, यह घर के फर्श का स्तर होता है। फर्श के सतह से दीवार बनाते हैं और चौखट लगाते हैं। फर्श की सतह से लगभग तीन—चार फीट ऊपर छोटी खिड़की लगाते हैं। दीवार में अंदर की ओर आवश्यकतानुसार “आला” बनाते हैं। दीवार इच्छित ऊँचाई तक पहुंचने के बाद गोल या चौकोन लकड़ी की “पाटी” रख दिया जाता है, इसके ऊपर निश्चित दूरी पर ‘कांडा’ लगाकर उसके ऊपर पतला बांस या लकड़ी लगाते हैं, इसे रस्सी या कीले की सहायता से लगाते हैं। इसके ऊपर खपरे को “छां” (ढंक) दिया जाता है। पूर्व में बासं या झाड़ियों की बाड़ या बाड़ी बनाकर उसमें दोनों ओर मिट्टी छाबकर दीवार बनाते थे।

यदि दो मंजिला पटाव युक्त आवास निर्माण करना है तो चौखट के ऊपर आवश्यकतानुसार “पाटी” की लकड़ी दूसरे दीवार तक लगाते हैं और “पाटी” के ऊपर आड़ी लकड़ी डालकर मिट्टी से पाट देते हैं और दीवार के ऊपर दीवार बनाते हैं। इसके बाद दीवार या कमरे में आवश्यक खिड़की तथा चौखट लगाकर वांछित ऊँचाई के बाद “पाटी”, “कांडा”, तथा बांस या “बत्ता (लकड़ी) लगाकर “खपरे” से छत छा (ढंक) देते हैं। पूर्व में छत को सुकली खड़, पैरा, छिंद खड़ या दाब खड़ से छा (ढंक) देते थे। दीवार को चिकना या समतल बनाने या दरार से बचाने हेतु लाल मिट्टी से छाबते हैं तथा सूखने के पश्चात् क्रमशः गोबर व काली मिट्टी से तथा अंत में छुई मिट्टी से दीवारों की पुताई करते हैं। फर्श को गीली मिट्टी से समतल करते हैं तथा सूखने के पश्चात् गोबर से लीपते हैं।

स. सजावट —आवास की आंतरिक एवं बाह्य सजावट हेतु मिट्टी, गोबर एवं दीवार की पुताई हेतु छुई, गेरु माटी एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। आवास की आंतरिक सज्जा हेतु आला के चारों ओर मिट्टी की चौड़ी पट्टी होती है, जिस पर दीवार के रंग को अलग रंग की पुताई की जाती है, दीवार से फर्श के किनारे तक सफेद, काले—नीले रंग की पुताई किया जाता है व फर्श पर गोबर लीपकर किनारे पर पट्टी बनाकर आंतरिक सज्जा किया जाता है। बाह्य दीवारों पर मिट्टी थोपकर पशु—पक्षी, पत्तियों, चांद—तारे आदि सजावटी आकृतियों को बनाया जाता है। कुछ घरों में मुख्य द्वार के चारों ओर मिट्टी थाप कर आकर्षक सजावटी आकृति बनाया जाता है, जिसे दीवार के रंग से अलग रंग की पुताई कर सुन्दर बनाया जाता है।

द. गृह—प्रवेश — आवास निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् सिरहा पुजारी से सलाह लेकर गृह प्रवेश करते हैं। सिरहा पुजारी घर की भीतरी कक्ष “झूमाघर” में पूर्वज व गोत्र देवी—देवता की पूजा करवाता है और बलि देता है। पूजा के उपरांत पूजा से प्राप्त प्रसाद, मांस व शराब का सेवन करते हैं तत्पश्चात् नये घर में रहने लगते हैं।

वर्षाकाल में आवास के बाहरी दीवार, नीचे की मिट्टी, रंग खराब हो जाता है, जिसे शीत ऋतु में मरम्मत, लिपाई—पुताई किया जाता है।

इ. आवास व्यवस्था — भतरा जनजाति के आवास के सामने आंगन होता है। आंगन के एक किनारे मिट्टी का “चौरा” (चबूतरा) होता है, जिसमें बांस या त्रिशूल या पथर की मूर्ति होती है, जिसमें समय—समय पर धूप, अगरबत्ती, सिंदूर से पूजा किया जाता है। आंगन की मुख्य द्वार से “परछी” में प्रवेश करते हैं। “परछी” बैठक कक्ष व भोजन कक्ष के रूप में उपयोग करते हैं। “परछी” के एक कोने में “ढेकी” (धान कुटने का यंत्र), जाता (दाल पीसने का यंत्र,), “मूसर” लगा होता है। भतरा जनजाति के कुछ लोग घरों में “परछी” के कोने को रसोई पकाने में उपयोग करते हैं।

‘परछी’ से लगा हुआ रसोई सह भंडार कक्ष के एक भाग में अनाज भंडारण हेतु “कोठी” होता है। इसे बनाने हेतु 2—3 फीट ऊंचे खम्बे गाड़ कर उस पर आड़ी लकड़ियाँ रखकर मंच बना लेते हैं तथा चौकोन आकार में मिट्टी की दीवार बनाकर कमरानुमा “कोठी” बना लेते हैं, जो ऊपर की ओर खुला रहता है। “कोठी” के समीप

में देवी—देवता का चबूतरा होता है। दूसरे भाग में मिट्टी का चूल्हा होता है। चूल्हे से थोड़ी दूर में दैनिक उपयोगी खाद्य सामग्री, मसालों आदि को रखा जाता है। “परछी” से ही शयनकक्ष में प्रवेश करते हैं। इसमें शयन के साथ—साथ दैनिक उपयोगी वस्तुओं को रखा जाता है। इस कक्ष में कपड़े व अन्य आवश्यक सामानों को भी रखा जाता है।

फ. स्वच्छता एवं सफाई – घर की दैनिक एवं विशिष्ट अवसरों पर साफ—सफाई किया जाता है। प्रातः स्त्रियाँ आंगन को झाड़ू से बुहारती हैं। गोबर को पानी में घोल कर आंगन में ‘छड़ा’ (छिड़कना) लगाती हैं। घर को दिन में दो बार सुबह व शाम बुहारते हैं तथा साप्ताहिक गोबर पानी के घोल से लीपती हैं। पशुशाला के गोबर को घर से थोड़ी दूर में बने गोबर गड्ढे में फेंककर झाड़ू बुहार कर साफ करती हैं।

घर के दीवारों की पुताई, अमुस, धाननुआ, दियारी आदि त्यौहारों तथा विवाह आदि उत्सवों से पूर्व किया जाता है।

2.2 व्यक्तिगत स्वच्छता एवं श्रृंगार

भतरा जनजाति के सदस्य प्रातः काल शौच जाते हैं। शौच घर से दूर मैदान या वन में जाते हैं। शौच के पश्चात् पानी से अंगों को साफ कर हाथों की सफाई मिट्टी से करते हैं, कुछ परिवार राख, साबुन का उपयोग कर रहे हैं।

शौच से आने के पश्चात् “सरगी”(साल), छींद, करंज, नीम या अन्य दातौन से दांतों की सफाई करते हैं। वर्तमान में अनेक सदस्य दांतों की सफाई हेतु दंत मंजन, गुड़ाखू तथा टूथ ब्रश—पेस्ट उपयोग करने लगे हैं।

प्रातः काल दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात् भतरा पुरुष—महिला सदस्य अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। वे शीत ऋतु में अनियमित तथा ग्रीष्म ऋतु में नियमित रूप से दोपहर में स्नान करते हैं। वर्षाकाल में कृषि कार्य के बाद दोपहर या शाम को स्नान करते हैं। नहाते समय शरीर की सफाई हेतु साबुन, तथा बालों को धोने के लिये काली मिट्टी या शैम्पू का उपयोग करते हैं। पूर्व में वर्षाकाल में खेत में होने वाले पौधे से सिर धोते थे। कपड़ों को गर्म पानी और राख में उबालकर धोते हैं। वर्तमान में साबुन एवं वाशिंग पावडर का उपयोग भी करने लगे हैं। स्नान घर के

समीप या नदी—नाला, तालाब, हैण्डपंप, कुंआ आदि जल स्रोत में करते हैं।

स्नान के पश्चात् शरीर एवं बालों में टोरा तेल, सरसों तेल, नारियल तेल लगाते हैं। स्त्रियाँ पूर्व में सिर के पिछले हिस्से में ‘खोसा’ बांधती थी, वर्तमान में फीता तथा क्लीप की सहायता से बेनी बनाने लगी है। माथे में बिन्दी का उपयोग करती हैं। कुछ परिवारों में काजल, पावडर, क्रीम का उपयोग भी करने लगे हैं।

2.3.1 बालों तथा नाखून की सफाई

भतरा जनजाति के पुरुष सदस्य एक दूसरे का बाल काटते हैं। पूर्व में भतरा पुरुष जूँड़ा बांधते थे या लंबे बाल रखते थे, किंतु वर्तमान में छोटे बाल रखते हैं। पिता अपने बच्चों का बाल काटता है। पूर्व में बच्चे के “भंवर” (सिर के ऊपरी—मध्य भाग) के पास गोलाकार रखते थे, शेष सिर का मुंडन कर देते थे। एक अन्य केश विन्यास में पिता अपने बच्चे के सिर के सामने के भाग में बाल को लंबे रखकर शेष सिर के बाल को छोटे—छोटे काट देते थे, इसे “कोडरी सिंगा” अर्थात् कोडरी (हिरण) के सिंग के समान विन्यास कहते थे। बाल की कटाई हेतु पहले “छूरा” (चाकू) का उपयोग करते थे। वर्तमान में कैंची से बाल काटते हैं। बालों को छोटे रखने के कारण दो से तीन माह में बालों को काटते हैं।

पुरुष एक—दूसरे की दाढ़ी बनाते हैं। पहले छूरा और वर्तमान में ब्लेड का उपयोग करते हैं। पूर्व में माह में एक बार जबकि वर्तमान में साप्ताहिक अंतराल में दाढ़ी बनाते हैं। वर्तमान में बाल एवं दाढ़ी बनाने के लिये नाई की सेवाएं लेने लगे हैं। हाथ—पैर नाखूनों को “कडरी” या “छूरी” (छोटा चाकू) या ब्लेड से 15—20 दिनों के अंतराल में काटते हैं।

2.3.2 शारीरिक अंग—छेदन

भतरा जनजाति में कन्याओं का कर्ण छेदन आठ—दस वर्ष की उम्र में करवाया जाता है। इसमें कान के नीचे व उपर के भाग में छेद किया जाता है। बालकों को पूर्व में कान छिदवाते थे वर्तमान में नहीं छिदवाया जाता है। कान छेदने के पश्चात् “दाब बाड़नी” (झाड़ू की पतली सीक) पहना देते हैं। घाव सुखने के पश्चात् उपलब्ध किसी

धातु का आभूषण पहना दिया जाता है।

2.4 आभूषण

भतरा जनजाति के स्त्री—पुरुष शृंगार, सुरक्षा व प्रतीक हेतु आभूषण धारण करते हैं। आभूषण बाजार, मेले, फेरीवाले एवं स्थानीय दुकान से क्रय किये जाते हैं। आभूषण सोना, चांदी, पीतल, एल्युमिनियम, गिलट, तांबा, लाख आदि से निर्मित होते हैं। भतरा सदस्यों द्वारा धारित प्रमुख आभूषण इस प्रकार है :—

सारणी क्र0. 2.1 भतरा सदस्यों की आभूषणों का विवरण

क्र0.	आभूषण	मूल्य (रु. में)	धातु	धारणकर्ता	धारित अंग
1	खोंचा कांटा	2–10	स्टील धातु	स्त्री	बालों में
2	कलीप	2–10	स्टील धातु	स्त्री	बालों में
3	चौरी	15–20	काली रस्सी	स्त्री	बालों में (खोसा के लिये)
4	बारी	100–3000	सोना, चांदी, गिलट	स्त्री—पुरुष	कान के ऊपरी भाग में
5	खंजा	100–3000	सोना, चांदी, गिलट	स्त्री	कान के नीचे भाग में
6	फूली	10–3000	सोना, चांदी, गिलट	स्त्री	कान के नीचे भाग में
7	फुलगुना	20–2000	चांदी, गिलट व अन्य धातु	स्त्री	नाक में
8	डंडी	30–2000	चांदी, गिलट व अन्य धातु	स्त्री	नाक में
9	करिया माला	20–1000	लाख	स्त्री	गले में
10	दीप माला	50–20000	सोना, धातु	स्त्री	गले में
11	नानू	30000–90000	सोना	स्त्री	गले में (धनवान द्वारा धारण)
12	डांडा माली	10000–30000	सोना	स्त्री	गले में
13	दशाबरत	40–70	धागा	स्त्री	गले में (व्रत में धारण)

14	बांहटा	100–1500	चांदी, गिलट	स्त्री	बांह में
15	पोलका खाडू	100–2000	चांदी, गिलट	स्त्री	कलाई में
16	कांच चूड़ी	10–50	कांच	स्त्री	कलाई में
17	टिकी मूंदी (सिक्का अंगूठी)	20–100	सिक्का	स्त्री	कलाई में
18	मूंदी	10–30	धातु	स्त्री–पुरुष	हाथ की अंगुलियों में

भतरा जनजाति में आर्थिक कारणों से सोना, चांदी के आभूषणों का उपयोग कम है। भतरा बच्चे, स्त्री–पुरुष नजर व बुरे प्रभाव से रक्षा हेतु गले में काला धागा, ताबीज धारण करते हैं।

2.5 गोदना

भतरा जनजाति में गोदना को पवित्र तथा आवश्यक माना जाता है। स्त्रियों द्वारा गोदना न गुदवाने पर जन्म निरर्थक माना जाता है। इस कारण स्त्रियों में अधिक प्रचलित है, पुरुष शौक के रूप में हाथ की कलाई में नाम, राम–राम या प्रतीक गोदना गुदवाते हैं। भतरा जनजाति में गोदना को पक्का या स्थायी श्रृंगार माना जाता है। भतरा जनजाति में मान्यता है कि गोदना मात्र एक ऐसा आभूषण है जो मृत्यु के पश्चात् परलोक साथ में जाता है।

भतरा जनजाति में कन्याओं को विवाह के पूर्व 12–13 वर्ष की आयु में गोदना गुदवाया जाता है। भतरा जनजाति में मान्यता है कि गोदना कन्या के जवान होने की पहचान है। गोदना बांह व कलाईयों तथा कोहनी की नीचे, हथेली के पार्श्व भाग पर तथा पैरों में पिंडली के चारों ओर तथा पैर के पंजे के ऊपर विभिन्न आकृतियों का गुदना गुदवाती हैं।

पूर्व में भतरा जनजाति में यह पंरपरा प्रचलित था कि कोई स्त्री प्रथम प्रसव के तुरंत बाद पुनः गर्भवती हो जाती थी तो होने वाले बच्चे को अति मानवीय शक्तियों के प्रकोप से रक्षा करने हेतु बच्चे के माथे पर गोल गुदना गुदवाते थे। इस प्रकार गोल गुदना गुदवाये बच्चे को “लामा” कहा जाता था।

गोदना गुदवाने के लिये पुराना कपड़ा, 5 पैली धान, एक किलो चाँवल तथा 30 से 50 रुपये दिया जाता है। वर्तमान में सामाजिक सम्पर्क तथा विकास के फलस्वरूप गोदना गुदवाने की प्रथा पारंपरिक न होकर आधुनिक मशीनों तथा डिजायनों की हो रही है।

2.6 वस्त्र विन्यास

भतरा जनजाति के वस्त्र विन्यास समकालीन होते हैं। भतरा सदस्य हरे, सफेद, नीले, लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग अधिक करते हैं। उम्र व लिंग के अनुसार धारण किये जाने वाले वस्त्रों का विवरण निम्नलिखित है –

2.6.1 पुरुष

अ. बालक—भतरा जनजाति में नवजात शिशु को “सटी” संस्कार तक पुराने कपड़े के टुकड़े में लपेटा जाता है। “सटी” (छठी) के दिन नये कपड़े का “झबला” या कुर्ता पहनाया जाता है। पूर्व में दो वर्ष की उम्र से कमर में “लेंगटी” (लंगोट) पहनाया जाता था, वर्तमान में चड्डी, पेंट एवं शर्ट पहनाते हैं। शाला में प्रवेश के उम्र से शर्ट, पैंट पहनते हैं। पूर्व में किशोरावस्था में धोती, लुंगी, बनियान पहनते थे, वर्तमान में शर्ट, टी-शर्ट, चड्डी, हाफ एवं फूल पैंट, लुंगी बनियान पहनते हैं।

ब. वयस्क—वयस्क भतरा, पुरुष चड्डी, अंगोछी (धोती) लुंगी, बनियान, कमीज पहनते हैं तथा सिर पर “पटका” या “गमछा” बांधते हैं। वर्तमान में कुछ पुरुष सदस्य आधुनिक वस्त्र भी पहनने लगे हैं।

स. वृद्ध—वृद्ध पुरुष कमर से घुटने तक “ओंगदी” (धोती) लुंगी एवं शरीर के ऊपरी भाग में बनियान पहनते हैं तथा सिर पर “पागा” (साफा) बांधते हैं।

2.6.2 स्त्री

अ. बालिका—नवजात बालिका को “सटी” (छठी) तक पुराने कपड़े में लपेटा जाता है। छठी के पश्चात् दो वर्ष तक “गज्जी” (झबला), फाक एवं चड्डी पहनाते हैं। स्कूल प्रवेश की उम्र से कमीज, स्कर्ट, फ्राक एवं चड्डी पहनती है तथा किशोरी बालिकायें सलवार कुर्ता, स्कर्ट कमीज पहनती हैं, जबकि अन्य बालिकाएं साड़ी धारण करती हैं।

ब. वयस्क —वयस्क स्त्रियाँ पूरी लंबाई की एक ही साड़ी धारण करती हैं।

स. वृद्धा —वृद्धा घुटने से नीचे तक एक ही साड़ी धारण करती हैं।

भतरा परिवारों में नये वस्त्र प्रायः विवाह एवं नुआखानी त्यौहार के अवसर पर क्रय किये जाते हैं। इनके पास आर्थिक स्थिति के अनुसार 2—5 जोड़ी कपड़े पाये जाते हैं। वैवाहिक या विशेष अवसर पर वस्त्र उपहार स्वरूप भेंट किये जाते हैं।

2.6.3 बिछाने—ओढ़ने के कपड़े

भतरा परिवारों में परिवार के सदस्यों की संख्या तथा आवश्यकतानुसार नये—पुराने बिछाने—ओढ़ने के कपड़े पाये जाते हैं। सोने हेतु बांस की चटाई या पुरानी साड़ियों को सीलकर बनायी गयी “खतड़ी” (गुदड़ी) को बिछाते हैं। कुछ परिवारों में ऊपर चादर बिछाते हैं। ओढ़ने के लिये बाजार से क्रय किया गया चादर या सूती कम्बल उपयोग करते हैं। ओढ़ने—बिछाने के चादर 80—200 रुपये तक के एवं 20—300 रुपये के मूल्य के होते हैं।

2.7 घरेलू उपकरण

घरेलू उपकरण का जीवन निर्वाह में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इनकी सहायता से ही दैनिक जीवन सुचारू रूप से गतिमान होता है। परिवार में घरेलू उपकरण की संख्या आवश्यकता एवं संचय पर निर्भर होता है। भतरा परिवारों के घरेलू उपकरण निम्न हैं—

2.7.1 रसोई में उपयोग होने वाले उपकरण

भतरा परिवारों की रसोई में उपयोग होने वाले घरेलू उपकरण का विवरण इस प्रकार है—

सारणी क्र. 2.2

भतरा परिवारों की रसोई में उपयोग होने वाले घरेलू उपकरण का विवरण

क्रं.	नाम	मूल्य (रु. में)	निर्माण सामग्री	निर्माण/क्रय	उपयोग
1	चिकनी कुंडरी	20—50	मिट्टी	कुम्हार	भात बनाने में
2	कुंडरी	20—40	मिट्टी	कुम्हार	पेज बनाने में
3	तेलानी	20—40	मिट्टी	कुम्हार	साग (सब्जी) बनाने में।

4	पातली	20–40	मिट्टी	कुम्हार	साग (सब्जी) बनाने में।
5	हण्डी	20–50	मिट्टी	कुम्हार	पेज बनाने में
6	कोरमा	20–51	मिट्टी	कुम्हार	पेज को रखने में
7	ढक्कन / टांगा	10–20	मिट्टी	कुम्हार	ढकने के लिये
8	ओनका	5–20	नारियल एवं लकड़ी	बाजार	पेज निकालने के लिये
9	चाटू	20–50	एन्युमिनियम	बाजार	पेज निकालने के लिये
10	नखा (गुंडी)	100–800	एन्युमिनियम, पीतल	बाजार	पानी रखने के लिए
11	थार (थाली)	20–250	स्टील, कांसा	बाजार	भोजन रखने में
12	गिलास	10–20	स्टील	बाजार	पानी पीने में
13	क्सल (लोटा)	40–200	स्टील, कांसा, पीतल	बाजार	पानी पीने में
14	कप	30–100	चीनी मिट्टी	बाजार	चाय पीने में
15	ईरा (हंसिया)	20–30	लोहा	बाजार	सब्जी काटने में
16	कडरी (चाकू)	5–15	लोहा	बाजार	सब्जी काटने में
17	ढेकी	10–30	लकड़ी, लोहा	स्वनिर्मित	धान कूटने में
18	सील—लोढ़ा	—	पत्थर	स्वनिर्मित	मसाला, चटनी पीसने में
19	मूसल—कोटनी	10–20	लकड़ी, लोहा	स्वनिर्मित	अनाज, कूटने पीसने में
20	जाता	100	पत्थर	बाजार	कुटने पीसने में
21	पीढ़ा	—	लकड़ी	स्वनिर्मित	बैठने में
22	सूपा	10–20	बांस	बाजार	अनाज सफाई में
23	चूल्हा	—	मिट्टी	स्वनिर्मित	भोजन बनाने में
24	डोबला	—	साल, सियाड़ी पत्ता	स्वनिर्मित	भोजन करने में
25	चोकनी	—	साल, सियाड़ी पत्ता	स्वनिर्मित	भोजन करने में
26	दोना	—	साल, सियाड़ी पत्ता	स्वनिर्मित	भोजन करने में
27	प्तरी (पत्तल)	—	साल, सियाड़ी पत्ता	स्वनिर्मित	भोजन करने में

2.7.2 अन्य घरेलू उपकरण

भतरा परिवारों में उपयोग होने वाले अन्य घरेलू उपकरण का विवरण इस प्रकार है –

सारणी क्र. 2.3 भतरा परिवारों की रसोई में उपयोग होने वाले अन्य घरेलू उपकरण का विवरण

क्रं.	नाम	मूल्य (रु. में)	निर्माण सामग्री	निर्माण / क्रय	उपयोग
1	बाढ़न (झाड़ू/ बाहरी	–	बांस एवं पौधे	स्वयं	सफाई में
2	सोली	20–40	लोहा	बाजार	अनाज नापने में
3	पैली	60–80	लोहा	बाजार	अनाज नापने में
4	पाव	50–60	लोहा	बाजार	तेल नापने में
5	ढोलंगी	200–400	बांस	बाजार	अनाज भण्डारण
6	छतड़ी	50–100	बासं व पत्ते	बाजार	वर्षा से सुरक्षा
7	कोठी	–	मिट्टी, लकड़ी	स्वयं	अनाज भण्डारण
8	खटिया (खाट)	–	लकड़ी, रस्सी	स्वयं	सोने, बैठने हेतू
9	“बारसी” (बसूला)	20–50	लोहा	बाजार	लकड़ी को छिलने
10	बिंधना	30–100	लोहा	बाजार	लकड़ी में छेद करने
11	आरी	40–120	लोहा	बाजार	लकड़ी काटने

2.8 कृषि औजार

भतरा जनजाति के सदस्य परंपरागत औजारों के माध्यम से कृषि करते हैं। परिवार में कृषि औजार सदस्यों की संख्या या आवश्यकता या आर्थिक स्थिति के आधार पर पाये जाते हैं। कृषि औजार न होने पर पड़ोसी परिवार से लिया जाता है। भतरा सदस्यों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले कृषि औजार निम्न हैं –

सारणी क्र. 2.3

भतरा परिवारों की कृषि औजार का विवरण

क्र0.	नाम	मूल्य	निर्माण सामग्री	निर्माता	उपयोग
1	नागर (हल)	200–500	लकड़ी, लोहा	स्वयं, बढ़ई	खेत की जुताई
2	लगड़ा (पाटा)	300–500	लकड़ी	स्वयं, बढ़ई	खेत को समतल बनाने में
3	कोपर	200–400	लकड़ी	स्वयं, बढ़ई	खेत को समतल बनाने में
4	कांटा–कोपर	200–400	लकड़ी	स्वयं, बढ़ई	खेत की घांस खीचने में
5	रापा (फावड़ा)	50–150	लोहा, लकड़ी	बाजार	खुदाई समतल करने में
6	कुदाली (कुदाल)	20–50	लोहा, लकड़ी	बाजार	खुदाई
7	कोड़की (छोटा फावड़ा)	80–150	लोहा, लकड़ी	बाजार	गहरी खुदाई
8	गैंती	80–150	लोहा, लकड़ी	बाजार	खुदाई
9	साबली (सब्बल)	60–150	लोहा	बाजार	गहरी खुदाई
10	ईरा (हंसिया)	20–50	लोहा, लकड़ी	बाजार, लोहार	फसल काटने में
11	कांवड़ी (कांवर)	—	बांस	स्वयं	कंधे में रखकर फसल लाना
12	सूपा (कुला)	10–40	बांस	स्वयं, बाजार	मिंजाई के दौरान फसल लाना
13	गपा (टोकरी)	10–30	बांस	स्वयं, बाजार	अनाज, खाद लाने में

2.9 मत्स्य आखेट के उपकरण

भतरा जनजाति के सदस्य नदी—नालों, खेत तथा तालाबों में मत्स्य आखेट करते हैं। मत्स्य आखेट के प्रमुख उपकरण निम्न हैं—

सारणी क्र. 2.4

भतरा परिवारों में मत्स्य आखेट के प्रमुख उपकरणों का विवरण

क्रं.	नाम	मूल्य	निर्माण सामग्री	निर्माता	उपयोग
1	“दांदर”	30–100	बांस, रस्सी	स्वयं, क्रय	खेतों की मेड में
2	“थापा”	50–100	बासं, रस्सी	स्वयं, क्रय	कम गहरे पानी में
3	“बियरी”	50–100	बासं, जाल	स्वयं, क्रय	तालाब में
4	“जाल”	800–1000	बासं, जाल, रस्सी	स्वयं, क्रय	तालाब, नदी में
5	“गरी–लाठ”	10–20	बांस, गरी, धागा	स्वयं	तालाब, नदी में
6	“धनुष–जाली	10–30	बासं, रस्सी, लोहा	स्वयं	नदी, तालाब में
7	“पेलना”	50–100	बासं, जाल	स्वयं, क्रय	तालाब में

2.10 शिकार के उपकरण

भतरा जनजाति के सदस्य शिकार भी करते हैं, वे अपने शिकार के हथियार स्वयं बनाते हैं। वर्तमान में प्रतिबंध के कारण शिकार का प्रचलन आंशिक मात्र रह गया है, किन्तु धार्मिक प्रयोजन, मनोरंजन एवं फसलों की सुरक्षा हेतु गुप्त रूप से शिकार किया जाता है। इनके शिकार के उपकरण निम्न हैं –

सारणी क्र. 2.5

भतरा परिवारों में शिकार के प्रमुख उपकरणों का विवरण

क्रं.	नाम	निर्माण सामग्री	लक्ष्य
1	“धनु–कांड”	बांस, रस्सी, लोहा	बड़े जानवर
2	“खरहा जाल”	सन की रस्सी	खरगोश
3	“फांदा”	बांस, रस्सी	पक्षी
4	“दावनी फांदा”	चिपचिपा पदार्थ, रस्सी	बड़े पक्षी के लिये (मोर)
	“लावा फांदा”	जाल, रस्सी	तीतर, लावा, पंडकी
5	“लासा”	महुआ, पीपल, बड़े वृक्ष का दूध व तेल	सभी पक्षी
6	“काल खोदरा”	गड्ढा खोदने का औजार	बड़े जानवर
7	“गुलेर”	लकड़ी, रबर	सभी पक्षी
	“धनुष गुलेर”	बांस, रस्सी	सभी पक्षी

2.11 संगीत के उपकरण

भतरा जनजाति में सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन के अवसर पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गीत—संगीत—नृत्य प्रस्तुत किये जाते हैं। इनमें प्रयुक्त किये जाने वाले वाद्य यंत्रों का विवरण निम्न है—

सारणी क्र. 2.6

भतरा परिवारों में पारम्परिक वाद्ययंत्रों का विवरण

क्रं.	नाम	मूल्य	निर्माण सामग्री	निर्माता / क्रय	उपयोग विधि
1	“ढोल”	400–500	लकड़ी का खोखला तना, चमड़ा, रस्सी	बाजार	गले में लटकाकर
2	“मांदर”	800–1000	मिट्टी, चमड़ा, रस्सी	बाजार	गले में लटकाकर
3	“बांसुरी”	10–50	बांस	स्वयं / बाजार	मुँह से फूँककर
4	“डंडा”	—	लकड़ी	स्वयं	हाथ से
5	“तुडबुड़ी”	100–200	मिट्टी, चमड़ा, रस्सी	बाजार	हाथ से
6	“ढोलकी”	100–250	मिट्टी, चमड़ा, रस्सी	बाजार	हाथ से

2.12 अग्नि प्रज्जवलन के उपकरण

भतरा जनजाति के सदस्य आग जलाने हेतु पारंपरिक रूप से दो विधियों का प्रयोग करते हैं।

प्रथम विधि में लकड़ी के चौड़े व समतल टुकड़े के बीच में लगभग $1-1^{1/2}$ इंच गहरा गोल छेद कर उसमें सूखी घास डालते हैं तथा लगभग एक फीट लम्बी लकड़ी को दोनों हथेली के बीच में दबाकर नीचे की ओर दबाव डालते हुये तेजी से आगे—पीछे घुमाते हैं, जिससे नीचे छेद में घर्षण के कारण आग उत्पन्न होकर सूखे घास में लग जाती है, जिसे फूँककर सुलगा लिया जाता है।

दूसरी विधि में बांस के दो सूखे टुकड़े लेकर एक को आधे हिस्से तक दो भागों में फाड़ लिया जाता है और बीच में लकड़ी फंसा देते हैं, यह अंग्रेजी के “V” अक्षर की आकृति का दिखाई देता है। इसके दो भाग वाले हिस्से को भूमि पर रखते हैं तथा नीचे सूखा पैरा या सूखी घास रख देते हैं। दूसरे बांस से पहले बांस के दो भाग वाले हिस्से

पर तेजी से रगड़ते हैं, जिससे घर्षण के कारण बांस का बुरादा एवं आग उत्पन्न होते हैं, जो नीचे रखे पैरा या सूखे धास में गिरते हैं, जिसे फूंककर सुलगा लिया जाता है।

उपरोक्त दोनों विधियाँ समय और श्रम साध्य होने के कारण भतरा सदस्य वर्तमान में आग जलाने हेतु माचिस का उपयोग करते हैं।

2.13 आवागमन के साधन

भतरा जनजाति के सदस्यों के बाजार—हाट, वनोपज क्रय—विक्रय तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं आवागमन हेतु पैदल एवं सायकल ही मुख्य साधन है। वर्तमान में कच्चे व पक्के सड़कों के विकास से यातायात के साधनों में वृद्धि हुई है। भतरा सदस्य मोटर सायकल, बस, ट्रक, ट्रेक्टर, जीप, कार आदि का उपयोग आवागमन हेतु करने लगे हैं।

2.14 भोजन

भतरा जनजाति के सदस्य भोजन में चांवल, दाल तथा मौसमी सब्जियाँ मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। “पखाल” (रात में बचे भात में पानी डालकर रख दिया जाता है), जिसे अगले दिन खेत जाने के पूर्व खाते हैं या “पेज” पीते हैं। भतरा जनजाति के सदस्य दिन में “पेज बेरा” (दोपहर) एवं “सांज बेरा” (संध्या काल) में भात, पेज तथा दाल व उपलब्धता अनुसार सब्जी खाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में दाल व सब्जी अनियमित रूप से बनाया जाता है। इन परिवारों में रसेदार सब्जी या नमक, मिर्च, टमाटर की चटनी के साथ भात खाया जाता है। भतरा परिवारों में खाद्य तेल का कम उपयोग होता है।

मक्का व चांवल की “कनकी” (खंडा) को अधिक पानी में उबालकर “पेज” बनाते हैं। इसे खेत जाने के पूर्व पीते हैं तथा खेत में भी साथ ले जाते हैं। पेज चटनी के साथ पीते हैं। इसी प्रकार गर्मियों में चांवल की “कनकी” (खंडा) को पूर्व से भिगोये तथा खमीर युक्त “मंडिया” (रागी) आटा के घोल के साथ उबालकर “मंडिया पेज” बनाते हैं।

भतरा परिवारों में प्रातः काल व संध्या में चाय पीने का चलन है। वे बिना दूध का (काली चाय) पीते हैं। चाय अतिथियों को भी पिलाया जाता है।

भतरा जनजाति में उपरोक्त खाद्य या भोजन के अतिरिक्त वर्षाकाल में जब परिवार में चांवल की कमी हो जाती है तो साल बीज, महुआ से भी भोज्य पदार्थ बनाये जाते हैं।

2.15 मादक पदार्थ

भतरा जनजातीय सदस्यों द्वारा मादक पेय के रूप में शराब, सल्फी रस, छिंद रस का उपयोग किया जाता है। मादक पदार्थों का सेवन, संध्या, साप्ताहिक बाजार, त्यौहार, अतिथि आगमन, धार्मिक सामाजिक आयोजन के दौरान किया जाता है। शराब पांरपरिक विधि से स्वयं बनाते हैं या क्रय करते हैं। भतरा सदस्य गुड़ाखू तम्बाकू का प्रयोग भी बहुतायत से करते हैं। प्रौढ़ व वृद्धजन तम्बाकू व बीड़ी का तथा किशोर व युवाजन तम्बाकू युक्त गुटखा का सेवन करते हैं।

अध्याय - तीन

जीवन संस्कार

सभी समाजों में जन्म, विवाह एवं मृत्यु आदि जीवन संस्कारों को एक निश्चित नियम के अंतर्गत कुछ अनुष्ठानों के साथ पूर्ण किया जाता है। इन अनुष्ठानों में परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भिन्नता तथा रुचि के फलस्वरूप आयोजन के स्वरूप में विवधता दिखाई देता है, किंतु एक समाज में कुछ मूलभूत नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। इन्हे जीवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। ये जीवन संस्कार जन्म, विवाह एवं मृत्यु से जुड़े होते हैं। भतरा जनजाति में प्रचलित जीवन संस्कार का विवरण इस प्रकार है—

3.1 जन्म संस्कार

3.1.1 गर्भधारण (पेटेथेबार)

भतरा जनजाति में मासिक चक्र रुकने से गर्भधारण या गर्भ ठहरने का ज्ञान होता है। भतरा जनजाति में गर्भवती स्त्री, गर्भकाल के प्रारंभिक एवं मध्यकाल तक सामान्य दैनिक कार्यों का निर्वहन करती हैं। इस काल में गर्भवती स्त्री को सामान्य से अधिक या पौष्टिक भोजन दिया जाता है। भतरा जनजाति में गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु के लिए कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान नहीं किया जाता है।

भतरा जनजाति संतान हेतु पुत्र या लड़का को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पुत्र ही वंश को आगे बढ़ायेगा तथा बुढ़ापे में देख-रेख करेगा। इस कारण भतरा जनजाति में प्रथम संतान हेतु पुत्र या लड़का की कामना करते हैं।

3.1.2 प्रसव (नंगत होयबार)

भतरा जनजाति में गर्भवती स्त्री का प्रसव घर में होता है। प्रसव कार्य ग्राम की दो-तीन जानकार स्त्रियों “सुईन” से करवाते हैं। पूर्व में नाल काटने के लिये बांस की कपची (कच्चे बांस को काट व छील कर बनाया गया पट्टी) हंडी या खपरैल का टुकड़ा, तीर, “कडरी” (चाकू) उपयोग करते थे। वर्तमान में नाल काटने के लिये ब्लैड का उपयोग किया जा रहा है।

भतरा जनजाति में प्रसव के उपरांत तीन दिन प्रसूता को “कशा” पानी दिया जाता है। “कशा” “हिरवां” या “कोलत” (कुल्थी), “तिल गुड़” (कुटा हुआ काला तिल), सिंगी तथा ककही जड़ (जंगली जड़ी) को पानी में उबालकर बनाते हैं। तीसरे दिन प्रसूता को भोजन खिलाते हैं।

3.1.3 छठी संस्कार तथा नामकरण (सटी)

शिशु जन्म के 6 या 8 दिन में नाल झड़ने पर “सटी” (छठी संस्कार) किया जाता है। भतरा जनजाति के कई परिवार अर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण छठी संस्कार एक-दो माह या अधिक दिन में करते हैं। बच्चे के नाल को घर के आंगन में गड़ते हैं। सुईन प्रसूता के कमरे को साफ करती है तथा शिशु को नहलाती है। इस दिन संबंधियों तथा ग्रामवासियों को आमंत्रित किया जाता है। बच्चे का नामकरण परिवार के सदस्य करते हैं तथा आमंत्रित जन शिशु को आशीर्वाद तथा उपहार देते हैं। इसके बाद सभी आमंत्रित जनों को शराब व भोज कराते हैं। पूर्व में बच्चे के जन्म के दिन, मास के आधार पर नाम रखते थे। जैसे— सोमवार के जन्मे बालक / बालिका का नाम सोमारू / सोमारी, बुधवार को जन्मे बालक / बालिका का नाम बुधरू / बुधरी, चैत्र मास में जन्म हो तो चैतू आदि। वर्तमान में कुछ भतरा परिवार के नामकरण बाह्य समाज के संपर्क के कारण परिवर्तित होने लगा है।

नामकरण के दिन ग्राम पुजारी की पत्नी मिट्टी के कलश में “बाना” (चित्र) बनाकर देती है, जिसमें परिवार के सदस्य चांवल भरकर साड़ी और रूपये के साथ “सुईन” को भेंट स्वरूप देते हैं।

3.2. विवाह संस्कार (बिहा)

भतरा समाज में विवाह को जीवन का आवश्यक संस्कार माना जाता है क्योंकि विवाह से ही व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, निश्चितता आती है साथ ही परिवार के निर्माण से समाज व संस्कृति निरंतर गतिशील रहती है।

3.2.1 विवाह हेतु अधिमान्यता

भतरा जनजातीय समाज में विवाह हेतु ममेरे-फुफेरे विवाह को अधिमान्यता

प्राप्त है। इसमें एक व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री के विवाह हेतु उनके मामा या फूफा के परिवार को प्राथमिकता देता है अर्थात् अपने संतान के विवाह हेतु एक व्यक्ति अपने ससुराल / साला या बहनोई के परिवार को प्राथमिकता देता है। ऐसे विवाह को अच्छा माना जाता है क्योंकि वैवाहिक पक्ष वर / वधू पूर्व परिचित या रिश्तेदार होते हैं, जिससे संतान का वैवाहिक जीवन सुखी होने का विश्वास होता है तथा दोनों पक्षों में आपसी संबंध भी अधिक घनिष्ठ होते हैं। भतरा जनजाति वंश व गोत्र बहिर्विवाही तथा जनजाति अंतर्विवाही है।

3.2.2 विवाह आयु

वर्तमान में भतरा समाज में लड़कों का विवाह 18–22 वर्ष तथा लड़कियों का विवाह 17–19 वर्ष में किया जाता है। पूर्व में भतरा समाज में अल्पायु में विवाह की प्रथा प्रचलित थी, अर्थात् बालक का विवाह 14–16 वर्ष एवं बालिका का 12–15 वर्ष में कर दिया जाता था।

3.2.3 विवाह के प्रकार

भतरा समाज पुरुष प्रधान समाज है। इस समाज की विवाह पद्धति में पुरुषों को प्रमुखता है। भतरा समाज में विवाह के निम्न प्रकार प्रचलित है :—

अ. एकल विवाह— भतरा समाज में एक विवाह की संख्या अधिक है। इसमें एक समय में एक ही पुरुष—स्त्री के मध्य वैवाहिक संबंध होता है। कई बार विवाह विच्छेद, विधुर / विधवा होने के कारण दूसरे पुरुष—स्त्री से विवाह किया जाता है किन्तु एक समय में एक ही स्त्री / पुरुष से विवाह संबंध होता है।

ब. बहुपत्नी विवाह — भतरा समाज में बहुपत्नी विवाह अल्पसंख्या में प्रचलित है। बहुपत्नी विवाह का मुख्य कारण विधवा विवाह एवं संतानहीनता है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है। भतरा समाज में बहुपत्नी विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है।

3.2.4 जीवनसाथी चयन की विधियाँ

भतरा समाज में जीवन साथी चयन करने हेतु अनेक विधि प्रचलित है। विवाह

हेतु इच्छुक व्यक्ति या परिवार प्रचलित विधियों के अंतर्गत विवाह कर सकता है। भतरा समाज में विवाह साथी चयन की विधि का विवरण निम्न है—

1. सहमति विवाह —सहमति विवाह में वर—वधू दोनों के पक्ष आपसी सहमति से विवाह संबंध तय करते हैं। इनमें से आपसी सहमति के आधार पर तय किये जाने वाले विवाह की संख्या सर्वाधिक है।

अ. मांगनी बिहा (मंगनी विवाह)

- **विवाह प्रस्ताव** —भतरा जनजाति में पुत्र के विवाह योग्य होने पर पिता योग्य कन्या की तलाश कर कन्या के घर विवाह प्रस्ताव लेकर जाता है। विवाह प्रस्ताव हेतु लड़के का पिता अपने किसी संबंधी या “कूटन” (मध्यस्थ) के माध्यम से कन्या पक्ष को संदेश भेजा जाता है। कन्या पक्ष से सकारात्मक उत्तर मिलने के पश्चात् लड़के के माता—पिता व मध्यस्थ जाते हैं। यदि कन्या एवं कन्या पक्ष विवाह प्रस्ताव से सहमत होता है तो विवाह प्रस्ताव स्वीकृत होना माना जाता है।

- **“महला” (सगाई)** भतरा जनजाति में विवाह प्रस्ताव के स्वीकृति तथा विवाह के मध्य सात से बारह “माहला” (सगाई) का रिवाज है, जिसे वर्तमान में वर तथा वधू पक्ष आपसी सहमति से तीन या चार माहला में रस्मों को पूर्ण कर लेते हैं। भतरा जनजाति के बारह माहला (सगाई) निम्न हैं—

1. शुभ माहला
2. घर माहला
3. जमीत माहला
4. सगा माहला
5. सगाजानती माहला
6. पोईत भात माहला
7. जोड़ा जा चिन्हा बांदा माहला
8. बिहा शुभ माहला
9. कुटुम्ब माहला

10. ठिकाना माहला
11. बिहा माहला
12. गौनो माहला

भतरा जनजाति में वर्तमान में प्रचलित तीन प्रमुख “माहला” (सगाई) का विवरण निम्नांकित है—

- 1. “शुभ माहला”** — शुभ माहला मे वर के माता-पिता, माहला करिया (मध्यस्थ) एवं निकट संबंधी कन्या के घर जाते हैं। वे अपने साथ चिवड़ा, गुड़ तथा शराब लेकर जाते हैं। शुभ माहला में उपस्थित जनों के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा संबंध तय किया जाता है तथा चिवड़ा, गुड़ तथा “मंद” (शराब) सभी को वितरित किया जाता है, जिसे उपस्थित सभी द्वारा ग्रहण किया जाता है।
- 2. “पोईत भात माहला”** — पोईत भात माहला में वधू के घर भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें दोनों पक्ष के उपस्थित जनों के मध्य रस्म पूर्ण किया जाता है तथा भोज दिया जाता है।
- 3. “बिहा माहला”** — बिहा माहला में वर—वधू पक्ष के द्वारा विवाह की तिथि “खरचा” (वधूधन), बाराती तथा विवाह के संबंध में अन्य बातों का निर्धारण किया जाता है।
- 4. “खरचा” (वधू—मूल्य)** — भतरा जनजाति के मंगनी विवाह में “खरचा” (वधूमूल्य) दिया जाता है। इसमें वर का पिता वधू के पिता को 2000—3000 रुपये ‘खरचा’ (वधूमूल्य) के रूप में देता है। इसके साथ वधू पक्ष को भोजन व श्रृंगार सामान दिया जाता है। जो इस प्रकार होता है—

1. बकरा— 1
2. मुर्गा—1
3. चाँवल — 10—20 पैली
4. ““मंद” (शराब) 20 से 30 बोतल
5. मॉय लुगा —1 (सास की साड़ी)

6. सोरीही लुगा (16 हाथ लंबी) वधू के लिए

- **विवाह की रस्म**—भतरा जनजाति में पूर्व में 5–7 दिनों का वैवाहिक कार्यक्रम होता था, जिसे वर्तमान में तीन से चार दिनों में सीमित कर दिया गया है। विवाह कार्यक्रम का दैनिक विवरण निम्न है :—

प्रथम दिन —विवाह का प्रथम दिन दोनों पक्ष के परिवार जन “नेओता बाजा” (निमंत्रण बाजा) के साथ सर्वप्रथम देवी—देवता के सगे—संबंधियों तथा ग्रामीणों को विवाह में आमंत्रित करने के लिए जाते हैं।

द्वितीय दिन — विवाह के द्वितीय दिन दोनों पक्ष में “मांडो” (मण्डप) बनाते हैं। इस दिन ग्राम का माटी पुजारी, परिवार के सदस्य व ग्रामीण वन से महुआ व साल वृक्ष की हरी शाखाएं, “खूंटा” (खम्बा) काटकर लाते हैं तथा आंगन में “मांडो” (मण्डप) बनाते हैं। “मांडो” (मण्डप) के मध्य में महुआ की शाखा गाड़ दिया जाता है। विवाह के सभी रस्म इसी “मांडो” (मण्डप) के नीचे ही संपन्न होते हैं।

दूसरे दिन दोनों पक्ष अपने—अपने घर में वर—वधू को तेल चढ़ाते हैं। इसमें वर—वधू के निकट संबंधी स्त्रियां जैसे— भाभी, चाची, मामी आदि तेल चढ़ाते हैं। इस रस्म में वर / वधू को “मांडो” (मण्डप) में बैठाकर निकट संबंधी स्त्रियां हाथों में तेल लेकर सिर तक शरीर में पांच बार हल्दी व तेल लेकर पत्तों के सहारे चढ़ाती हैं।

तृतीय दिन — तीसरे दिन सुबह दोनों पक्ष में वर—वधू तेल चढ़ाते हैं। इस दिन वर पक्ष, वधू के गांव की दूरी के आधार पर बारात प्रस्थान करता है। बारात में वर के पिता, संबंधी, वर के मित्र तथा ग्रामवासी आदि जाते हैं। बारात के गांव में पहुंचने पर “जनवासा” (बारात रुकने के लिए ग्राम का सार्वजनिक भवन या अन्य चिन्हित स्थान में ठहरते हैं) और बारात का स्वागत करते हैं। “जनवासा” में ही “खरचा” या वधूमूल्य प्रदाय किया जाता है।

विवाह की रस्म — शाम को वर बारात के साथ वधू के घर आता है। बारात का घर पर स्वागत करने के पश्चात् वर—वधू को मण्डप में बिठाकर “टिकान” रस्म किया जाता है। इसमें आमंत्रित जन यथाशक्ति उपहार देते हैं। इसके बाद बारातियों व

आमंत्रित जनों को भोज दिया जाता है। भोज के उपरांत “लगिन” (लग्न) का रस्म होता है। इसमें विवाह की रस्म को पुजारी या समाज का जानकार व्यक्ति पूर्ण कराता है। भतरा जनजाति में सात या नौ फेरे लिये जाते हैं। इसके पश्चात् विवाह रस्म पूर्ण होता है। विवाह पूर्ण होने के पश्चात् रात में या सुबह बारात विदाई किया जाता है। ‘टिकान’ में आये समस्त उपहार वर पक्ष को सौंप दिया जाता है।

चतुर्थ दिन – बारात के वर के घर वापसी पर स्वागत किया जाता है। वर—वधु की पूजा कर घर के अंदर लाते हैं। कुछ समय उपरांत “जोड़ी” तेल रस्म होता है। इसमें वर—वधु को मण्डप में बैठाकर तेल चढ़ाया व उतारा जाता है। इसके बाद ‘चिखल लोंडी’ “चिखल” (कीचड़) की होली रस्म होता है।

शाम को वर—वधु को मण्डप में बिठाकर “टिकान” रस्म किया जाता है। इस समय संबंधी व आमंत्रित जन वर—वधु को हल्दी—चांवल का टीका लगाकर उपहार व आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद भोज होता है।

ब. घरजियां बिहा (परीवीक्षा विवाह)

भतरा जनजाति में “घरजियां बिहा” प्रचलित है। इसमें वर को एक निश्चित अवधि तक कन्या के घर में परीवीक्षा में रहना पड़ता है, जिसमें सफल होने पर विवाह होता है। वर को वधु के घर में ही रहना पड़ता है। घरजियां बिहा के मुख्य दो कारण होते हैं –

1. यदि किसी परिवार में इकलौती या सिर्फ कन्या संताने हो।
2. ऐसा परिवार जो गरीबी के कारण सामान्य रीति से अपने पुत्र का विवाह करने में सक्षम नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में घरजियां विवाह किया जा सकता है। घरजियां रखने को इच्छुक पिता समाज में योग्य वर की तलाश करता है, वर के पिता के समक्ष प्रस्ताव रखता है और सहमति मिलने पर वर को अपने घर ले जाता है। वहां लड़के को पूर्व में तय समय के आधार पर 2–4 वर्ष सेवा देना पड़ता है। यदि कन्या एवं कन्या के पिता लड़के से संतुष्ट हो तो कन्या के घर में ही सहमति विवाह रस्म के अनुसार विवाह कर दिया जाता है।

स. “पल्टा करिया बिहा” (विनिमय विवाह)

भतरा जनजाति में दो परिवारों में विवाह योग्य लड़का—लड़की का विवाह अदला—बदली या पल्टा करिया बिहा से कर सकते हैं। अर्थात् एक परिवार के लड़के का विवाह दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार के लड़के का विवाह पहले परिवार की लड़की से किया जाता है। इसमें “खरचा” (वधूमूल्य) देय नहीं होता है। शेष रस्म सहमति विवाह के समान ही होते हैं।

2. “उदलिया बिहा” (पलायन विवाह)

भतरा जनजाति में लड़का—लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तथा विवाह करना चाहते हैं किन्तु विवाह हेतु उनके परिवार के सदस्य सहमत नहीं होते हैं तो दोनों पलायन कर विवाह कर लेते हैं। दोनों परिवार के सदस्य लड़का—लड़की की तलाश कर जनजाति पंचायत में निर्णय हेतु मामले को प्रस्तुत किया जाता है। मामले की सुनवाई कर दोनों को पति—पत्नी के रूप में मान्यता दिया जाता है। ऐसे मामले में लड़के के पिता को, कन्या के पिता को “खरचा” देना होता है तथा समाज को जुर्माना के रूप में आर्थिक दण्ड व भोज देना पड़ता है।

3. खिलवां बिहा / चूड़ी बिहा (पुनर्विवाह)

भतरा जनजाति में विधुर, विधवा, तथा निःसंतान विवाहित व्यक्ति के पुनर्विवाह का प्रचलन है। पुनर्विवाह हेतु स्त्री की इच्छा या सहमति आवश्यक होता है। पुनर्विवाह ‘खिलवा’ (कान का आभूषण) व चूड़ी पहनाकर किया जाता है। पुनर्विवाह में वर अपने निकटस्थ संबंधियों के साथ कन्या के घर जाता है, स्वागत के पश्चात् वर द्वारा ली गई खिलवां, चूड़ी वधू को पहना दिया जाता है। इसके बाद उपस्थित समाज के सदस्यों को भोजन कराकर शाम को विदाई कर दिया जाता है।

3.3 मृत्यु संस्कार (मरनी)

भतरा जनजाति में मृत्यु को जीवन की पूर्णता एवं अवश्यंभावी माना जाता है। परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर स्त्रियां विलाप करती हैं, जिसे सुनकर पड़ोसी एकत्रित होते हैं और सभी को सूचना देते हैं। संबंधियों एवं ग्रामीणों के एकत्रित होने के

पश्चात् विवाह संबंधी “टरंडी” (अर्थी) बनाते हैं। इसमें शव को रखकर नये वस्त्र से ढक देते हैं। शव यात्रा के पूर्व शव को हल्दी लगाते हैं। शव यात्रा के शमसान में पहुंचने पर दूसरे गोत्र के सदस्य कब्र खोदते हैं। इसके बाद शव को कब्र में रखने के पश्चात् मृतक का पुत्र या पिता या भाई या पति सर्वप्रथम शव पर मिट्टी डालता है। इसके बाद संबंधी तथा ग्रामीण एक-एक मुट्ठी मिट्टी शव पर डालते हैं तथा शव को मिट्टी से पूरी तरह ढंक दिया जाता है। मिट्टी देने का प्रथम अधिकार मृतक पिता होने पर बड़े पुत्र को, मृतक माता होने पर सबसे छोटे पुत्र को, निःसंतान स्त्री की मृत्यु होने पर पति, मृतक निःसंतान विधवा होने पर जेठ या देवर का पुत्र प्रथम मिट्टी देता है। इसके पश्चात् “मङ्गाभाटा” (शमसान) से सभी नदी या तालाब में नहाने जाते हैं तथा नहाने के बाद कतार में मृतक के घर जाते हैं।

3.3.1 “पीता”

मृत्यु के तीसरे दिन “पीता” होता है। इस दिन संबंधी एक ग्रामवासी मृतक के घर एकत्रित होते हैं। सभी कतार में जाकर नदी या तालाब में नहाते हैं और नहाकर मृतक के घर आते हैं। इसके बाद “पीता छुआनी” रस्म होता है। इस रस्म में नाईक या पाईक नीम पत्ती बांटता है जिसे मृतक के परिवार जन खाकर शुद्ध होते हैं तथा परिवार के सिर में तेल लगाते हैं। “पीता” के दिन मृतक के परिवार का शुद्धीकरण किया जाता है।

3.3.2 “दुख नाहानी”

मृत्यु के दसवें दिन “दुखनाहानी” कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम समय का सामाजिक प्रतिबंध न होकर यह धन की उपलब्धता पर तय होता है कि “दुख नाहानी” दसवें दिन ही सम्पन्न होगा या फिर अन्य किसी दिन जब आर्थिक रूप से “दुखनाहानी” करने में परिवार सक्षम हो। इस दिन संबंधी एवं ग्रामवासी मृतक के घर एकत्रित होते हैं। इस दिन “पितर डूमा” को मिलाने तथा “बांधन काटनी” रस्म होता है। “पितर डूमा” को मिलाने अर्थात् मृत आत्मा को “पितरो” (पूर्वजों) से मिलाते हैं, इसके पश्चात् मृत व्यक्ति को देव तुल्य माना जाता है। घर के आंगन में “बांधन

काटनी” रस्म होता है। इस रस्म को मृतक का भांजा अपने मामा की आत्मा को सांसारिक बंधन से मुक्ति के लिए करता है। भांजा अपने मामा की आत्मा को घर, परिवार, सगा संबंधी से मुक्ति के लिए “बांधन काटनी” रस्म करता है। इसके बदले में भांजा को वस्त्र, अन्न, कांसा, सोना—चांदी, तांबा, गाय, भूमि, बर्तन आदि दान देते हैं। इस दिन भांजे को मामा के विशिष्ट उपयोग में आने वाले “टंगिया” (कुल्हाड़ी), छाता आदि हथियार व आभूषणों को दान स्वरूप दिया जाता है।

अध्याय - चार

सामाजिक संरचना

सामाजिक संरचना समाज के सामाजिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक पक्ष से संबंधित है। प्रत्येक समाज अनेक इकाईयों से मिलकर बना होता है, ये उप इकाईयाँ व्यवस्थित व क्रमबद्ध होकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। इसमें जनजाति, गोत्र, नातेदारी, प्रथायें, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं। सामाजिक संरचना, अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की होती है। जिसमें परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होता है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना, सामाजिक समूहों, इकाईयों, संस्था व व्यक्तियों द्वारा स्थितियों व भूमिकाओं की क्रमबद्धता है। भतरा जनजाति की सामाजिक संरचना का विवेचन निम्नानुसार है—

4.1 जनजाति

जनजाति एक गतिशील व्यवस्था है। जनजाति, समाज का खण्डों में विभाजन है, जिसकी सदस्यता जन्म आधारित है, यह भोजन, सामाजिक सहवास, व्यवसाय एवं विवाह आदि पर आधारित है। जनजाति अपने सदस्यों को एक विशेष सामाजिक प्रस्थिति प्रदान करती है, जिसमें आजीवन परिवर्तन संभव नहीं है। जनजातियों में जनजातिगत विशिष्टता के आधार पर उच्चता एवं निम्नता तथा सामाजिक दूरी पायी जाती है।

भतरा जनजाति एक स्वतंत्र नृजातीय समुदाय है। भतरा की तीन उपजनजातियाँ— पीता, अमनीत एवं सान, रसेल एवं हीरालाल के स्वतंत्रता पूर्व ग्रंथ “The Tribes and Castes of the Central Provinces of India”(1916) Vol.- II के अनुसार “The World Bhatra is said to mean a servant, and the tribe are employed as village watchmen and household and domestic servants. They have there divisons, the Pit Amnait and San Bhatras, who rank one below the other, the Pit being the highest and the San the lowest. The Pit Bhatras base their superiority on the fact the they decline to make grass mats, which the Aminait Bhatras will do, while the San Bhatras are considerd to be practically indentical with the Muriya Gonds”

भतरा जनजाति के तीन उपजाति पीता, अमनीत एवं सान हैं।

भतरा सामाजिक स्तरीकरण में ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य जातियों को अपने से उच्च तथा शुद्ध जातियाँ मानते हैं। भतरा अपने साथ निवास करने वाले आदिवासी समुदाय में से मुरिया को समकक्ष तथा धुरवा, गोंड, माड़िया को निम्न मानते हैं। भतरा जनजाति के सदस्यों में स्वजातीय सदस्यों के प्रति एकता, बंधुता, आत्मीयता एवं संगठन की भावना होती है।

4.2 गोत्र

भतरा जनजाति विभिन्न गोत्रों में विभाजित है। एक गोत्र के सदस्य एक-दूसरे को रक्त संबंधी मानते हैं। गोत्र बहिर्विवाही समूह है। किसी विशिष्ट देवी या देवता को एक गोत्र के सदस्य देव मानता है, जिसके वार्षिक या त्रिवार्षिक पूजा गोत्र के सदस्यों द्वारा मुख्य देव / देवी स्थल में होते हैं। सर्वेक्षित परिवारों में भतरा जनजाति में पाए जाने वाले मुख्य गोत्र निम्न हैं—

- | | | |
|-------------------|-----------------------|---------|
| 1. बाघ | 2. नाग | 3. कचिम |
| 4. कुकुर या नेताम | 5. माकड़ी | 6. गोई |
| 7. बोकड़ी | 8. कोयकी / रूपू / सुआ | 9. पखना |

सर्वेक्षित भतरा परिवारों में गोत्र का विवरण सारणी क्रमांक-4.1 में दर्शया गया है—

सारणी क्रमांक 4.1 सर्वेक्षित भतरा परिवारों में गोत्र का विवरण

क्र.0.	गोत्र	गोत्र चिन्ह
1	नाग	नाग सर्प
2	बाघ	बाघ
3	कचिम	कछुआ
4	कोयकी / सुआ / रूपू	तोता
5	नेताम	कुत्ता
6	माकड़ी	बंदर

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक परिवार संख्या बाघ गोत्र के हैं। नाग गोत्र के पश्चात् कच्छम गोत्र के परिवार फिर कोयकी/सुआ/रूपू गोत्र के परिवार पश्चात् नेताम गोत्र के परिवार फिर माकड़ी गोत्र के परिवार, पाये गये हैं।

4.3 परिवार

भतरा जनजातीय समाज की प्रारंभिक तथा आधारभूत इकाई परिवार है। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, सामाजीकरण एवं संस्कृतिकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है। परिवार में दो या अधिक पीढ़ियों के सदस्य निवास करते हैं। भतरा जनजाति के परिवारों में वरिष्ठ पुरुष मुखिया होते हैं। पारिवारिक जीवन का संचालन, निर्णय मुखिया द्वारा किया जाता है। भतरा जनजाति में एकल या केन्द्रीय, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार पाये जाते हैं। संयुक्त परिवार, युवा सदस्यों के विवाह पश्चात् एकल परिवार में विघटित हो जाता है। भतरा परिवारों का वर्गीकरण सारणी क्रमांक 4.2 में दर्शाया गया है –

सारणी क्रमांक 4.2 सर्वेक्षित भतरा का वर्गीकरण

क्र.	आधार	प्रकार		
1	संरचना	केन्द्रीय या एकल	संयुक्त	विस्तृत
2	सत्ता	पितृसत्तात्मक	—	—
3	वंश परंपरा	पितृवंशीय	—	—
4	उत्तराधिकारी	पितृधिकार	—	—
5	आवास	पितृस्थानीय	नवस्थानीय	—
6	विवाह संख्या	एकल विवाही	बहुपत्नी विवाही	—

उपर्युक्त सारणी से भतरा परिवार की संरचना स्पष्ट की है। संरचना के आधार पर केन्द्रीय, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार होते हैं। परिवारों में मुखिया या सत्ता पुरुष के पास अर्थात् पितृसत्तात्मक होते हैं। भतरा परिवार पितृवंशीय एवं पितृ अधिकार

युक्त होते हैं। इन परिवारों में वंश पुरुष के नाम पर तथा उत्तराधिकार पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। आवास के आधार पर पितृस्थानीय एवं नवस्थानीय परिवार पाये जाते हैं। भतरा दंपत्ति विवाह के पश्चात् वर के पिता के आवास के पास नये आवास में निवास करते हैं। भतरा परिवार एकल विवाही तथा बहुपत्नी विवाही परिवार पाये जाते हैं।

4.3.1 परिवार की संरचना

भतरा जनजातीय परिवार की संरचना सारणी क्रमांक— 4.3 में प्रदर्शित है।

सारणी क्रमांक 4.3 परिवार की संरचना

क्र	प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	एकल परिवार	183	91.50
3	संयुक्त परिवार	17	8.50
	योग	200	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित भतरा परिवार में 91.50 प्रतिशत एकल या केन्द्रीय परिवार तथा 8.50 प्रतिशत संयुक्त परिवार है।

4.3.2 पारिवारिक संबंध

भतरा परिवार में विभिन्न सदस्यों के मध्य संबंध निम्नानुसार दर्शाया गया है—

1. माता—पिता

बच्चे के जन्म को परिवार की पूर्णता माना जाता है। बच्चे के जन्म के पश्चात् माता—पिता बच्चे की देखभाल, पालन—पोषण, दैनिक तथा जीवन की शिक्षा देते हैं। बच्चों के विवाह योग्य होने पर उनका विवाह करते हैं। विवाह के पश्चात् माता—पिता बच्चों के गृहस्थ जीवन के व्यवस्थित होने तक उचित मार्गदर्शन देते हैं एवं निगरानी रखते हैं।

2. पति—पत्नी

भतरा जनजाति में पति—पत्नी का संबंध मधुर, प्रेमयुक्त तथा दायित्वपूर्ण होता है। पति—पत्नी एक दूसरे के प्रति दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ करते हैं। पति परिवार के आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है तो पत्नी दैनिक कार्यों, साफ—सफाई, बच्चों की देखभाल, भोजन बनाने के साथ—साथ, कृषि, ईंधन, संकलन आदि कार्यों में सहयोग करता है। पति—पत्नी मिलकर माता—पिता तथा परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल तथा सेवा—सुश्रुषा करते हैं।

3. पिता—पुत्र

पिता—पुत्र का संबंध स्नेह, अनुशासन व नियंत्रण का होता है। पिता किशोरावस्था से पुत्र को आर्थिक कार्यों जैसे—कृषि, पशुपालन, संकलन आदि कार्य में प्रशिक्षित करता है। पिता—पुत्र के प्रति आदर भाव रखता है। उनकी आज्ञापालन के साथ—साथ मार्गदर्शन भी लेता है। पुत्र वृद्धवस्था में पिता की देखभाल करता है।

4. पिता—पुत्री

पिता—पुत्री का संबंध आत्मीय तथा वात्सल्यपूर्ण होता है। पिता—पुत्री में पिता—पुत्र की अपेक्षा अधिक स्नेह भाव रखता है। पिता किशोरावस्था से ही उसे भावी जीवन की शिक्षा देता है, विवाह के पश्चात् नये परिवार के सदस्यों से सामंजस्य बनाने की सीख देता है। पुत्री के विवाह योग्य होने पर योग्य वर से उसका विवाह कर पुत्री के सुखी जीवन की कामना करता है।

5. माता—पुत्र

माता—पुत्र का संबंध आत्मीय तथा वात्सल्य से परिपूर्ण होता है माता का पुत्री की अपेक्षा पुत्र से भावनात्मक जुड़ाव अधिक होता है। माता पुत्र का पालन—पोषण, देखभाल पूर्ण मनोयोग से करती है। माता पुत्र को समाज—परिवार के नियम, परम्पराओं की शिक्षा देती है। पुत्र माता की आज्ञा का पालन करता है। माता की देखभाल पूर्ण श्रद्धा से करता है।

6. माता—पुत्री

माता—पुत्री का संबंध वात्सल्यपूर्ण होता है, माता—पुत्री को बाल्यावस्था से ही

घरेलू कार्य, सामाजिक-आर्थिक कार्य सिखाती है। माता-पुत्री को पराया धन मानकर ससुराल के नये परिवेश में सफलतापूर्वक सामंजस्य बनाने व सुखी जीवन हेतु शिक्षित करती है।

पुत्री-माता को आदर्श मानकर माता की शिक्षा को जीवन में अपनाने का प्रयास करती है। युवावस्था के पश्चात् माता-पुत्री के संबंध मित्रवत् हो जाते हैं। माता-पुत्री में विवाह के उपरांत बिछड़ने का कष्ट सदैव रहता है किन्तु पुत्री के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति का सुख भी रहता है।

7. भाई—भाई

भाई—भाई के मध्य संबंध प्रेमपूर्ण तथा मित्रवत् होता है। छोटा भाई बड़े भाई का आदर व सम्मान करता है तथा बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति स्नेह भाव रखता है। पारिवारिक सामाजिक तथा आर्थिक कार्यों का निर्वहन साथ—साथ करते हैं। विवाहोपरांत अलग होने पर भी भाईयों में स्नेह बना रहता है। कुछ परिवारों में विवाहोपरांत पारिवारिक तालमेल न होने एवं संपत्ति विवाद के कारण तनाव भी रहता है।

8. भाई—बहन

भाई—बहन का संबंध स्नेहपूर्ण होता है। भाई—बहन एक साथ खेलते—सीखते हैं। कई एकल परिवारों में माता—पिता आर्थिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण बड़े भाई/बहन, छोटे भाई/बहनों का घर में देख—रेख करते हैं। विवाह के पश्चात् भी भाई—बहन यथावत् बने रहते हैं। दोनों एक दूसरे के सुख—दुख की जानकारी लेते रहते हैं।

9. बहन—बहन

बहनों का आपसी संबंध प्रेमपूर्ण होता है। बड़ी बहन छोटी बहन को घरेलू कार्य सिखाती है तथा छोटी बहन बड़ी बहन के कार्यों में सहयोग करती है। बड़े होने पर विवाह के उपरांत भी बहनों में स्नेहभाव बना रहता है।

10. सास—बहू

सास—बहू का संबंध आदर—सम्मान, कर्तव्य तथा अपेक्षा पर आधारित है।

सास अपनी बहु से आदर—सम्मान, पारिवारिक कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के बखूबी निर्वहन की अपेक्षा रखती है। सास—बहु में आपसी ताल—मेल अच्छा रहने पर पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। कई परिवारों में सास—बहु एक दूसरे की अपेक्षाओं की पूर्ति न करने के कारण आपसी संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं।

11. ससुर—बहु

ससुर बहु के संबंध परिहार संबंध में आते हैं। बहु ससुर का पिता तुल्य आदर—सम्मान करती है।

12. देवर—भाभी

देवर—भाभी का संबंध परिहास संबंध की श्रेणी के अंतर्गत है। देवर—भाभी के संबंध स्नेहपूर्ण तथा मित्रवत् होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भावी जीवनसाथी की भूमिका भी तय हो सकती है।

13. ननद—भाभी

ननद भाभी का संबंध स्नेहपूर्ण होता है। दोनों एक दूसरे की आवश्यकता एवं अपेक्षा की पूर्ति का प्रयास करते हैं। ननद के विवाह के पश्चात् ननद—भाभी के संबंध अधिक मधुर हो जाते हैं। कई परिवारों में ननद—भाभी के मध्य सांमजस्य न होने की स्थिति में पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है।

भतरा जनजाति में पारिवारिक संबंध मजबूत पाये जाते हैं। प्रत्येक सदस्य एक—दूसरे के प्रति आदर—सम्मान व कर्तव्य का भाव रखता है। सर्वेक्षण के दौरान संयुक्त परिवार एवं विस्तृत परिवार की संख्या उपरोक्त धारणा को पुष्ट करते हैं।

4.4 नातेदारी

भतरा जनजाति में नातेदारी को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है –

4.4.1 नातेदारी प्रकार

भतरा जनजाति में नातेदारी संबंध दो प्रकार के होते हैं–

अ. रक्त संबंधी

रक्त संबंधी नातेदारी, श्रेणी के अंतर्गत ऐसे सदस्य शामिल हैं जो एक—दूसरे से रक्त संबंध के आधार पर संबंधित हो जैसे— माता—पिता, भाई—भाई, भाई—बहन आदि।

ब. विवाह संबंधी

विवाह संबंधी नातेदारी श्रेणी के अंतर्गत विवाह द्वारा एक दूसरे से संबंधित सदस्य तथा दोनों परिवार के सदस्य शामिल हैं। जैसे— पति—पत्नी, सास—ससुर, जीजा—साला आदि।

4.4.2 नातेदारी श्रेणी

भतरा जनजाति में नातेदारी श्रेणी निम्न है—

अ. प्राथमिक संबंधी

प्राथमिक संबंधी से तात्पर्य ऐसे संबंधी से है जो प्रत्यक्ष रूप से एक—दूसरे से जुड़े होते हैं जैसे— पति—पत्नी, पिता—पुत्र, भाई—भाई, बहन—बहन, भाई—बहन आदि।

ब. द्वितीयक संबंधी

द्वितीयक संबंधी से तात्पर्य ऐसे संबंधी से है जो किसी व्यक्ति के प्राथमिक संबंधी का प्राथमिक संबंधी हो। जैसे— चाचा एवं भतीजा एक दूसरे के द्वितीयक संबंधी होंगे क्योंकि चाचा का भाई अर्थात् लड़के का पिता आपस में प्राथमिक संबंधी है उसी तरह पिता—पुत्र आपस में प्राथमिक संबंधी है। अतः व्यक्ति के प्राथमिक संबंधी का प्राथमिक संबंधी व्यक्ति का द्वितीयक संबंधी होगा।

स. तृतीयक संबंधी

किसी व्यक्ति के द्वितीयक संबंधी का प्राथमिक संबंधी का तृतीयक संबंधी होगा।

4.4.3 नातेदारी भाब्दावली

क. केन्द्रीय परिवार

क्रं.	संबंध	संदर्भ शब्द	संबोधन शब्द
	पत्नी	बायले	स्थान या बच्चे के नाम के आधार पर (माध्यमिक संबोधन)
	पति	मनुक	स्थान या बच्चे के नाम के आधार पर (माध्यमिक संबोधन)
	पिता	बबा	बबा
	माता	माँ	आया
	बड़ा पुत्र	बेटा	नाम से, बाबू
	छोटा पुत्र	बेटा	नाम से, बाबू
	बड़ी पुत्री	बेटी	नाम से. नोनी
	छोटी पुत्री	बेटी	नाम से. नोनी
	बड़ा भाई	बड़ा भाई	छादा
	छोटा भाई	छोटा भाई	नाम से, बाबू
	बड़ी बहन	बड़ी बहन	दीदी
	छोटी बहन	छोटी बहन	नोनी

ख. संयुक्त परिवार

क्रं.	संबंध	संदर्भ शब्द	संबोधन शब्द
1	पुत्र का पुत्र	नाती	नाम से, बाबू
2	पुत्र की पुत्री	नातिन	नाम से, नोनी
3	पुत्र की पत्नि	बुहारी	बुहारी
4	पिता के पिता	दादी	दादी
5	पिता की माता	आई	आई

6	पिता के बड़े भाई	बड़ाय	बड़ाय
7	पिता के बड़े भाई की पत्नि	बड़ाय	बड़ाय
8	पिता के बड़े भाई का पुत्र	भाई	भाई
9	पिता के बड़े भाई की पुत्री	बहन	दीदी / नोनी / नाम से
10	पिता के छोटे भाई	काका	काका
11	पिता के छोटे भाई की पत्नि	काकी	काकी
12	पिता की बहन	बूबू	बूबू
13	बड़े भाई की पत्नि	बउ	बऊ
14	छोटे भाई की पत्नि	भाई बुहारी	भाई बुहारी, माध्यमिक संबोधन
15	छोटे भाई का पुत्र	भतीजा / भतीजा बेटा	नाम से, बाबू
16	छोटे भाई की पुत्री	भतीजी	नाम से, नोनी
17	बड़े भाई का पुत्र	भतीजा / भतीजा बेटा	नाम से, बाबू
18	बड़े भाई की पुत्री	भतीजी	नाम से, नोनी
19	पति के पिता	सुसरा	सुसरा, मामा
20	पति की माँ	सास	आया, आता, बुबु
21	पति के बड़े भाई	सुसरा	सुसरा, दादा
22	पति के बड़े भाई की पत्नि	जेठानी	दीदी
23	पति के छोटे भाई	देवर	बाबू
24	पति के छोटे भाई की पत्नि	देवरानी	नोनी, बुहारी
25	पति की बड़ी बहन	डेढ़ सास	दीदी
26	पति की छोटी बहन	ननद	नोनी, नाम से

ग. मातृपक्ष

क्रं.	संबंध	संदर्भ शब्द	संबोधन शब्द
1	माँ का भाई	मामा	मामा
2	माता के भाई की पत्नि	आता	आता
3	माता की बड़ी बहन	बड़ाय	बड़ाय
4	माता की छोटी बहन	सुराया	सुराया
5	माता के पिता	आजा	आजा
6	माता की माता	दीदी	दीदी
7	माता के भाई का पुत्र	मैना भाई	नाम से, मैना भाई

8	माता के भाई की पुत्री	मैना बहन	नाम से, मैना बहन
9	माता के बड़ी बहन का पति	बोद्धू	बोद्धू बड़े बुआ
10	माता की छोटी बहन का पति	मौसा	मौसा

घ. स्वयं का संसुराल

क्र.	संबंध	संदर्भ शब्द	संबोधन शब्द
1	पत्नी के पिता	सुसरा	मामा, सुसरा
2	पत्नी की माता	सास	मामी, आता
3	पत्नी के बड़े भाई	डेढ़ साला	दादा
4	पत्नि के बड़े भाई की पत्नि	बहिन	दीदी
5	पत्नि का छोटा भाई	सारा	बाबू नाम से, सारा
6	पत्नि के छोटे भाई की पत्नि	बहिन	नोनी, बुहारी
7	पत्नि की बड़ी बहन	डेढ़ सास	दीदी
8	पत्नि के बड़ी बहन की पति	साढू	दादा, साढू
9	पत्नि की छोटी बहन	सारी	नाम से, नोनी, सारी
10	पत्नि की छोटी बहन के पति	साढू	साढू
11	पत्नि के भाई का पुत्र	भांचा	भांचा
12	पत्नि के भाई की पुत्री	भांची	भांची
13	पत्नि की बहन का पुत्र	बहिन बेटा	बाबू नाम से
14	पत्नि की बहन की पुत्री	बहिन बेटी	नोनी, नाम से
15	पत्नि के पिता की बड़ी बहिन	बड़ाय	बड़ाय
16	पत्नि के पिता की छोटी बहिन	सुराय	सुराय
17	पत्नि के पिता के पिता	आजा	आजा
18	पत्नि के पिता की माता	आजी	आजी, दीदी

4.4.4 नातेदारी रीतियाँ

भतरा जनजाति में कुछ संबंधियों के मध्य विशेष प्रकार की नातेदारी रीतियाँ या व्यवहार प्रचलित हैं। जो निम्न हैं—

अ. परिहास संबंध या निकटागमन

भतरा जनजाति में परिहास संबंध को ‘हांसी नाता’ कहते हैं। परिहास संबंध में कुछ विवाह संबंधियों में हास—परिहास के कारण आपसी संबंध मधुर हो जाते हैं। यह संबंध आपसी रिश्ते को निकटता तथा मजबूती प्रदान करने हेतु तथा भविष्य की संभावना को भी दर्शाता है। इस प्रकार के संबंध को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। संबंधियों में यह मान्य है—

1. देवर — भाभी
2. जीजा — साली, साला
3. समधी — समधन
4. नाना — नाती—नातिन
5. दादी — पोता—पोती

ब. परिहास संबंध या निकटाभिगमन

भतरा जनजाति में परिहास संबंध में विपरीत परिहार संबंध पाया जाता है। इसमें कुछ विशिष्ट वैवाहिक संबंधियों को दूर रखा जाता है। परिहार संबंध में प्रत्यक्ष बातचीत नहीं किया जाता है, एक—दूसरे को स्पर्श करना वर्जित है। इन नियमों का अनिवार्य रूप से परिहार संबंधियों को पालन करना पड़ता है। भतरा जनजाति में परिहार संबंध इस प्रकार है—

1. जेठ — बहू
2. ससुर — बहू
3. सास — दामाद
4. दामाद — डेढ़सास

स. माध्यमिक सम्बोधन

भतरा जनजाति में कुछ संबंधियों द्वारा परस्पर संबोधन हेतु किसी माध्यम जैसे— बच्चे, ग्राम आदि का सहारा लेकर संबोधित किया जाता है। इस प्रकार माध्यमिक संबोधन पति—पत्नि, भाई—बहू, दामाद, सास—ससुर हेतु उपयोग किया

जाता है। पति अपनी पत्नि को बुलाने हेतु बच्चे या पत्नि के मायके ग्राम के नाम का उपयोग किया जाता है।

वर्तमान में माध्यमिक संबोधन का प्रचलन कम हो रहा है। पति—पत्नि को नाम से संबोधित करने लगे हैं। पत्नि शासकीय तथा अन्य आवश्यक कार्य होने पर पति का नाम लेने लगी है।

द. मित/मितान संबंध

भतरा जनजाति में नातेदारी संबंधों के अतिरिक्त स्वजातीय या भिन्न जनजातियों से निकटता दर्शाने वाले मित/मितान संबंध भी पाये जाते हैं। यह मित्रता संबंध है जो दो व्यक्ति तथा उसके परिवार को आजीवन एक दूसरे के निकट स्थापित कर देता है। भतरा जनजाति में स्वजातीय तथा ग्राम में निवासरत अन्य जातीय सदस्यों से सदभाव, घनिष्ठता तथा सहयोग के उद्देश्य से संबंध बनाते हैं। समान लिंग—आयु के दो सदस्य अपने मित्रता संबंध को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से मित/मितान संबंध बनाते हैं। मित/मितान संबंध बनाने हेतु दोनों व्यक्ति ग्रामवासियों की उपस्थिति में ग्राम देवी/देवता के समक्ष पूजा अर्चना कर मीत सैनाव—सैनीई, महाप्रसाद, मितान आदि बंधते हैं। भतरा जनजाति के सदस्य स्वजातीय एवं अन्य जाति के सदस्यों से मित/मितान संबंध बनाते हैं।

इ. अन्तरर्जातीय संबंध

भतरा जनजाति निवास क्षेत्र में ब्राह्मण, ठाकुर, धाकड़ राउत, तेली, कुम्हार, हल्बा, मुरिया, गदबा, गोंड, माड़िया, धुरवा, पनका, माहरा, लोहार, धोबी, गांडा, आदि जाति—जनजाति निवासरत है। एक साथ निवास करने के कारण इन जातियों में पारस्परिक औपचारिक संबंध पाये जाते हैं। इस कारण ये आयु—लिंग के आधार पर सम्मानपूर्वक एक—दूसरे को नातेदारी शब्द से संबोधित करते हैं। इन जनजातियों में जातिगत कार्यों के आधार पर पारस्परिक निर्भरता पाया जाता है। भतरा जनजाति दैनिक जीवन में मिट्टी के बर्तन हेतु कुम्हार, लौह कार्य हेतु लोहार आदि जनजातियों से पारस्परिक निर्भरता पाया जाता है। भतरा कृषि मजदूरी या “मदद” (सहयोग) के रूप में अन्य जनजातियों का कार्य करते हैं। इस प्रकार ग्रामों के विभिन्न

जाति—जनजातियों में प्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध पाये जाते हैं तथा एक साथ पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने के कारण आपसी सामंजस्य तथा सद्भाव पाया जाता है।

इसके साथ ही भतरा ग्रामों में जन्म, खान—पान तथा कार्य के आधार पर जनजातियों में स्तरीकरण पाया जाता है। जिसमें जनजातियों को उच्च, समान व निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जनजाति तथा ग्रामों में निवासरत् अन्य जनजातियों के सामाजिक स्तरीकरण को निम्न रूप में दर्शाया गया है—

सामाजिक स्तरीकरण का विवरण

क्रं.	स्तर	जनजातियाँ
1	उच्च	ब्राह्मण, क्षत्रिय, धाकड़, राउत, हल्बा, कुम्हार
2	समकक्ष	गदबा, मुरिया
3	निम्न	धुरवा, माड़िया, पनका, लोहार, गांडा, माहरा

अध्याय - पाँच

राजनीतिक संगठन

मानव समाज में संगठन तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए राजनीतिक संगठन जरूरी है। राजनीतिक संगठन सामाजिक प्रतिमान तथा सामाजिक नियंत्रण के अनेक साधन होते हैं। सरल समाजों में ये साधन अनौपचारिक, अचेतन, अप्रत्यक्ष एवं सहज होते हैं। इन समाजों में सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विशिष्ट राजनीतिक संगठन पाया जाता है। जो प्रथाओं तथा धार्मिक रीति के सामंजस्य से कार्य करता है। भतरा जनजाति में द्विस्तरीय राजनीतिक संगठन पाया जाता है। जो कि जाति पंचायत के रूप में कार्य करता है।

5.1 ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत

भतरा जनजातीय ग्रामों में ग्राम स्तर पर जनजाति के सदस्यों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत होता है। इसमें ग्राम या समीप के अंतर ग्राम से संबंधित छोटे मामलों का निपटारा किया जाता है। इसका विवरण निम्न है—

5.1.1 कार्यकारिणी—भतरा जनजाति के ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत की कार्यकारिणी में नाईक, पाईक, पुजारी तथा सहयोग हेतु ‘सियान’ (बुजुर्ग परिषद) के रूप में सहायता करते हैं।

अ. पाईक —ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत के मुखिया को “पाईक” या “छोटा नाईक” कहते हैं। पाईक या छोटा नाईक का पद वंशानुगत होता है, जो पिता के पश्चात् बड़े पुत्र को हस्तांतरित होता है। यदि बड़ा पुत्र अयोग्य हो या पाईक का पद संभालने के अनिच्छुक है तो उसके किसी योग्य भाई को पाईक का पद दिया जाता है। यदि पाईक निःसंतान है उसके भाईयों के पुत्र को, यदि पाईक की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र अवस्यक है तो सर्वसम्मति से परिवार के अन्य व्यक्ति को पाईक बनाते हैं।

पाईक का मुख्य कार्य ग्राम स्तर के विवादों, मामलों में निर्णय करना, ग्राम क्षेत्र में घटित बड़े अपराध की सूचना नाईक को देना, भतरा व अन्य जनजाति के मामलों के निपटारों में भतरा जनजाति का प्रतिनिधित्व करना, समाज के बड़े अपराध में दोषी,

बहिष्कृत तथा अशुद्ध लोगों को शुद्धीकरण में नाईक का सहयोग करना आदि।

ब. पुजारी— पुजारी, ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत में पाईक का सहयोगी होता है। वह जनजाति पंचायत में धर्म, अशुद्धि तथा भूमि संबंधी मामलों में पाईक की मदद करता है। पुजारी का पद वंशानुगत होता है, जो पिता के पश्चात् बड़े पुत्र को हस्तांतरित होता है। यदि बड़ा पुत्र अयोग्य हो या पुजारी का पद संभालने के अनिच्छुक है तो सर्वसम्मति से उसके परिवार के अन्य व्यक्ति को पुजारी बनाते हैं।

पुजारी का मुख्य कार्य ग्राम स्तर के विवादों, मामलों के निपटारे में पाईक का सहयोग करना, समाज के बड़े अपराध में दोषी, बहिष्कृत तथा अशुद्ध लोगों को शुद्धिकरण में सहयोग करना, ग्राम स्तर के धार्मिक आयोजनों को पाईक के सहयोग से पूर्ण करना, ग्राम स्तर के भूमि संबंधी मामलों को निपटाने हेतु मशवरा देना आदि है।

स. बुजुर्ग परिषद्—भतरा जनजाति के ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत में पाईक के सहयोग हेतु बुजुर्ग व्यक्तियों का समूह होता है। भतरा जनजाति में बुजुर्ग व्यक्ति को “सियान” कहते हैं। बुजुर्ग परिषद में पांच से सात सदस्य होते हैं। ये “सियान” या बुजुर्ग व्यक्ति ग्राम में जनजाति के योग्य, अनुभवी, प्रतिष्ठित तथा जानकार व्यक्ति होते हैं। इनका सर्वसम्मति से चयन किया जाता है।

“सियान” या बुजुर्ग परिषद का मुख्य कार्य ग्राम स्तर के विवादों, मामलों के निपटारे में पाईक के लिए विचार-विमर्श करना तथा पाईक को निर्णय लेने में सहयोग करना, उच्च स्तरीय पंचायत में लिये गये निर्णय के पालन की निगरानी करना, ग्राम स्तर पर होने वाले धार्मिक कार्यों में सहयोग करना, सामाजिक गतिविधियों की निगरानी करना आदि है।

1.1.2 न्याय प्रक्रिया—भतरा ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत में ग्राम स्तर पर घटित या स्वजाति के अंतर ग्राम के छोटे मामलों या अपराधों का निपटारा किया जाता है। छोटे अपराध के अंतर्गत चोरी, मारपीट, फसल को नुकसान पहुंचाना, आगजनी, ग्राम की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, छेड़छाड़ आदि आते हैं। अपराध घटित होने के पश्चात् पीड़ित व्यक्ति पाईक या बुजुर्ग परिषद के किसी सदस्य को सूचित करता है। इसके पश्चात् पाईक व बुजुर्ग परिषद के सदस्य मामले की गंभीरता के

अनुसार सुनवाई की तिथि, स्थान तथा समय नियत कर सभी को सूचित करते हैं। सुनवाई में सभी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इसके पश्चात् पाईक तथा बुजुर्ग परिषद आपस में विचार-विमर्श कर निर्णय करते हैं। निर्णय पाईक द्वारा घोषित किया जाता है। दोषी को जुर्माना, चेतावनी, भोज का दण्ड दिया जाता है।

1.2 क्षेत्रीय “परगना” स्तरीय जनजाति पंचायत

10–20 ग्रामों के समूह पर गठित जनजाति के राजनीतिक संगठन को क्षेत्रीय स्तर पर “परगना जाति पंचायत” कहते हैं। जनजाति पंचायत का मुख्य कार्य क्षेत्र में घटित गंभीर या बड़े अपराधों का निपटारा करना है। परगना जनजाति पंचायत की कार्यकारिणी निम्न है—

5.2.1 कार्यकारिणी —भतरा जनजाति के परगना जनजाति पंचायत की कार्यकारिणी में “नाईक”, “पाईक” तथा सहयोग हेतु “सियान” (बुजुर्ग परिषद) होता है।

अ. नाईक

क्षेत्रीय स्तर या परगना जनजाति पंचायत का प्रमुख पद “नाईक” होता है। नाईक परगना के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का प्रमुख होता है। नाईक का पद वंशानुगत होता है, जो पिता के पश्चात् बड़े पुत्र को हस्तांतरित होता है। यदि बड़ा पुत्र अयोग्य हो या नाईक का पद संभालने को अनिच्छुक है तो उसके किसी योग्य भाई को नाईक का पद दिया जाता है। यदि नाईक निःसंतान है तो उसके भाईयों के पुत्र को, नाईक की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र अवस्यक है, तो सर्वसम्मति से परिवार के अन्य व्यक्ति को नाईक बनाते हैं।

नाईक का मुख्य कार्य क्षेत्र में घटित बड़े अपराधों अर्थात् निकटागमन संबंधी मामले तथा सामाजिक रूप से बहिष्कृत या समाज से बहिष्कृत व्यक्ति या परिवार को समाज में पुनः मिलाने संबंधी मामले का निपटारा करना, ग्राम स्तर पर लिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील का निपटारा करना, एकाधिक भतरा ग्राम के मामलों का निपटारा करना, सामाजिक नियमों तथा निर्णय के पालन तथा उल्लंघन की निगरानी

करना, बस्तर दशहरा पर्व में बस्तर रियासत काल के दौरान विभिन्न अवसरों पर जनजाति संबंधी मामलों में परगना का प्रतिनिधित्व करना।

ब. पाईक तथा बुजुर्ग परिषद

भतरा जनजाति के परगना स्तरीय जनजाति पंचायत में नाईक के कार्यों में सहयोग हेतु परगना के अंतर्गत ग्रामों के पाईक तथा परगना क्षेत्र के प्रमुख तथा प्रभावशाली बुजुर्ग या सियान व्यक्तियों का एक समूह होता है। पाईक तथा बुजुर्ग परिषद का कार्य नाईक के कार्यों में सहयोग करना, जात-पात या बहिष्कृत व्यक्ति या परिवार को समाज में पुनः मिलाने संबंधी कार्य में नाईक का सहयोग करना तथा ग्राम स्तर पर होने वाले धार्मिक, सामाजिक गतिविधियों की निगरानी करना आदि है।

5.2.2 न्याय प्रक्रिया

परगना स्तरीय जनजाति पंचायत के अंतर्गत परगना में शामिल ग्राम में बड़े अपराध जैसे— अंतरर्जातीय विवाह, पलायन विवाह, गाय मारना (गौ हत्या) तथा रोग के कारण शरीर में कीड़े पड़ने की घटना घटित होने पर पगरना स्तरीय जनजाति पंचायत में ग्राम के पाईक द्वारा सूचित किया जाता है। इसके पश्चात् परगना के सभी पाईक को बैठक का स्थान, तिथि व समय की सूचना देते हैं। नियत तिथि को सभी के उपस्थित होने पर सुनवाई होती है। सुनवाई के पश्चात् नाईक, पाईक तथा बुजुर्ग परिषद मिलकर विचार-विमर्श कर निर्णय करते हैं, जिसे नाईक सबके समक्ष घोषित करता है। दोषी को जुर्माना, सामाजिक भोज एवं “जातबाहर” (जनजाति बहिष्कार) का दण्ड दिया जाता है।

5.3 अपराध एवं दण्ड

भतरा जनजाति में सामाजिक नियमों के विरुद्ध तथा व्यक्ति के हित के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध की गंभीरता की दृष्टि से इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—

5.3.1 छोटे अपराध

छोटे अपराध के अंतर्गत भतरा जनजाति के सदस्य द्वारा भतरा जनजाति या अन्य जनजाति के व्यक्ति के घर चोरी, मारपीट, फसल को नुकसान पहुंचाना,

छेड़छाड़ आदि आते हैं। इसकी सुनवाई तथा निपटारा ग्राम स्तर के जनजाति पंचायत में होता है।

5.3.2 बड़े अपराध

बड़े अपराध के अंतर्गत भतरा जनजाति के सदस्य द्वारा गौ हत्या, बलात्कार, अंतर्जातीय विवाह, पलायन विवाह, किसी भतरा सदस्य के किसी भतरा सदस्य का रोग के कारण शरीर में कीड़े पड़ना आदि के मामले आते हैं। इसकी सुनवाई तथा निपटारा परगना स्तरीय जनजाति पंचायत में होता है।

5.4 आधुनिक जातीय संगठन

वर्तमान में भतरा जनजाति पर आधुनिकता, बाहरी संपर्क, पंचायत राज तथा अन्य समाज के प्रभाव के कारण पंरपरागत जनजाति पंचायत का प्रभाव कम हो रहा है। इस कारण भतरा जनजाति के शिक्षित, जागरूक तथा प्रगतिशील सदस्यों द्वारा समाज को जागरूक, संगठित तथा विकास मार्ग पर अग्रसर करने हेतु बस्तर संभाग में आधुनिक जातीय सामाजिक संगठन का गठन किया गया है। इसमें संभाग, जिला एवं तहसील स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी पद है। वर्तमान में उपरोक्त जातीय संगठन द्वारा तत्कालिक समस्याओं को सुलझाने, समाज सुधार तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत हैं। इस हेतु वे शासन से पंजीकृत अखिल भारतीय संस्था व अन्य समिति गठित कर कार्य कर रहे हैं। भतरा जनजातीय समुदाय के राजनैतिक प्रतिनिधित्व राज्य व केन्द्र शासन में मंत्री व सांसद पदों के दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं।

अध्याय - ४:

धार्मिक जीवन

भतरा जनजातीय धर्म प्रकृति, आत्मा, अलौकिक शक्ति तथा देवी—देवताओं के विश्वास पर आधारित है। भतरा आलौकिक या अधिमानवीय शक्तियों के समक्ष समर्पण कर अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के पूर्णता हेतु कामना करते हैं तथा कार्य सिद्ध होने पर आराधना, बलि के माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। भतरा जनजाति में धर्म दैनिक जीवन, सामाजिक—आर्थिक, जीवन संस्कार में गुंथा हुआ है, यह सामाजिक एकीकरण एवं सामाजिक समरसता बनाये रखने आवश्यक है। भतरा जनजाति के देवी—देवता निम्न हैं—

6.1 देवी—देवता

भतरा जनजाति के देवी—देवताओं का विवरण निम्न है—

6.1.1 गृह देवी—देवता

भतरा जनजाति में गृह देवी—देवता, गोत्र तथा परिवार के अनुसार नियत है। प्रत्येक गोत्र के सदस्य अपने घर में तीन स्थल पर देवी—देवता का वास मानते हैं :—

अ. पूजा कक्ष

भतरा जनजातीय सदस्य के आवास के अंदर के पूजा कक्ष को “देवघर” या “झूमाघर” कहते हैं, जिसके एक किनारे में मिट्टी का चबूतरा बना होता है, जिसमें तीन देवी—देवताओं के प्रतीक के रूप में पहला, एक चाकू गाड़ते हैं। दूसरा लकड़ी का खूंटा तथा तीसरा, मिट्टी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। यह परिवार के गृह तथा पूर्वज देवी—देवता होते हैं। प्रत्येक त्यौहार में इन गृह देवी—देवताओं की विशेष पूजा किया जाता है।

ब. कोठसार (गौशाला)

भतरा परिवार के पशुशाला में पशुओं की रक्षा करने वाली “बंजारिन माता” (बंजारिन देवी) को स्थापित किया जाता है। जिनकी “दियारी” त्यौहार में विशेष पूजा करते हैं तथा बलि देते हैं।

स. आँगन

प्रत्येक भतरा परिवार के आवास के प्रवेश द्वार में “दुआर मुंडिया” देव को स्थापित किया जाता है। परिवार के मुखिया द्वारा प्रत्येक त्यौहार में “दुआर मुंडिया” देव की पूजा कर आवश्यकतानुसार बलि दिया जाता है। “दुआर मुंडिया” देव घर, बाड़ी, आँगन की सुरक्षा व बुरी आत्माओं से बचाव करता है।

6.1.2 ग्राम देवी—देवता

ग्राम देवी—देवता के अंतर्गत वे देवी—देवता शामिल हैं जिन्हें सभी भतरा परिवार पूजा अर्चना करते हैं। इन देवी—देवताओं को ग्राम के अन्य जनजातियाँ भी पूजा करते हैं। इन देवी—देवताओं को “देवगुड़ी” या मंदिर में स्थापित किया जाता है। देवगुड़ी ग्राम के मध्य या ग्राम से बाहर स्थित होता है, इसमें ग्राम के मुख्य देवी—देवता “फूलमनी माता”, “शीतला माता”, ठाकुर देव, काली माता, कंकालीन माता, परदेशीन माता आदि में से दो—तीन देवी—देवताओं को स्थापित किया जाता है। इन देवी—देवताओं की सभी प्रमुख अवसरों पर पूजा किया जाता है व बलि चढ़ाया जाता है। ग्राम में स्थापित प्रमुख देवी—देवता निम्न हैं—

अ. फूलमती माता :—

यह ग्राम माता है जो दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों की सुरक्षा करती है। सभी त्यौहार—उत्सव व फसल से जुड़े कार्यों में धूप, दीप, नारियल, अगरबत्ती व वर्ष में एक बार जात्रा के समय पशुबली देकर पूजा करते हैं।

ब. कंकालीन देवी

कंकालीन देवी, ग्राम देवी है, जो दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों की सुरक्षा करती हैं। इन्हे अलग—अलग ग्रामों में पृथक नामों से पूजा किया जाता है। हरेली त्यौहार में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चांवल, बलि से विशेष पूजा किया जाता है।

स. शीतला माता

शीतला माता, ग्राम देवी हैं, जो दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा

से ग्रामीणों की सुरक्षा करती है। सभी तीज—त्यौहार में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चांवल, बलि से पूजा किया जाता है। प्रति वर्ष या तीन वर्षों में विशेष पूजा होती है।

द. परदेशीन माता

परदेशीन देवी ग्राम देवी है, जो दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों की सुरक्षा करती है। सभी तीज—त्यौहार में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चांवल, बलि से पूजा किया जाता है। प्रति वर्ष या तीन वर्षों में विशेष पूजा होती है।

ई. हिंगलाजिन माता

हिंगलाजिन माता ग्राम देवी है, दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों की सुरक्षा करती है। सभी तीज—त्यौहार में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चांवल, बलि से पूजा किया जाता है। प्रति वर्ष या तीन वर्षों में विशेष पूजा होती है।

फ. दूल्हा देव

दूल्हा देव को गृह देवता होने के साथ—साथ कई ग्रामों में ग्राम देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। विवाह के अवसर पर दूल्हा देव की पूजा किया जाता है। दूल्हा देव नवजीवन, शांति, सुख प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं।

6.1.3 रियासत स्तर के देवी—देवता

भतरा जनजाति के सदस्य स्वयं को राजा के साथ आंध्रपदेश के वांरगल क्षेत्र से बस्तर राज्य में प्रवासित मानते हैं। बस्तर राजा की आराध्य देवी—देवताओं को संपूर्ण रियासत में प्रमुख देवी—देवताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। भतरा जनजाति के सदस्य प्रमुख देवी—देवता के रूप में दंतेश्वरी देवी, भैरम देव, मावली देवी की आराधना करते हैं।

6.2 प्रमुख त्यौहार

भतरा जनजाति के प्रमुख त्यौहार निम्नांकित हैं—

अ. अमुस

अमुस त्यौहार सावन माह के अमावस्या तिथि को मानते हैं, इसमें ग्राम देवी—देवता की पूजा, पशु सुरक्षा, ग्राम सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। इस

त्यौहार हेतु प्रत्येक परिवार से चंदा या सहयोग राशि एकत्र किया जाता है। इस दिन ग्राम के पुरुष “देवगुड़ी” (मंदिर) में उपस्थित होते हैं। पुजारी वन से कुछ विशेष वृक्षों की टहनियां लाता है और “देवगुड़ी” (मंदिर) में अगरबत्ती, चांवल, नारियल, लाली आदि से पूजा कर “देवगुड़ी” (मंदिर) के छत में वृक्षों की टहनियां लगता है। पूजा के प्रसाद को केवल पुरुषों द्वारा ग्रहण किया जाता है। पूजा के उपरांत पुजारी द्वारा प्रत्येक घर के द्वार में बुरी आत्माओं के प्रकोप से बचाव हेतु टहनी लगाता है। खेत और बाड़ी में टहनी बुरी नजर से बचाव के लिये लगाते हैं।

ब. नुआखानी

नुआखानी त्यौहार भादो माह के शुक्ल पक्ष में नये अनाज ग्रहण करना प्रांरभ करने के लिए मनाया जाता है। कभी-कभी ग्राम पुजारी अपने गणना अनुसार उसके बाद का दिन भी तय कर सकते हैं। इस त्यौहार हेतु घर की साफ-सफाई, लिपाई-पोताई किया जाता है। इस दिन सुबह सभी पुरुष सदस्य ग्राम देवता के “देवगुड़ी” (मंदिर) में एकत्र होते हैं। पुजारी ग्राम देवी-देवता की पूजा कर धान की नयी बाली को मंदिर के चौखट पर बांध देता है और सभी पुरुषों को प्रसाद वितरित करता है। परिवार का मुखिया गृह देवी-देवताओं की पूजा करता है तथा मुर्ग/बकरा की बलि देता है। इसके बाद घर के सदस्य नये अन्न का देवी-देवताओं को अर्पित प्रसाद ग्रहण करते हैं और खुशियां मनाते हैं।

स. दियारी

दियारी त्यौहार पूस माह में मनाया जाता है। यह त्यौहार पशु धन के सम्मान में मनाया जाता है। इस त्यौहार में पशुओं को नये फसल से प्राप्त अन्न से निर्मित “खिचड़ी” खिलाकर धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। यह त्यौहार तीन दिनों तक मनाया जाता है। जिसमें पहले दिन “धोरई” (चरवाहा) प्रत्येक घर के पशुओं के गले में स्वयं द्वारा लायी गयी रस्सी “जेठा” बांधता है। दूसरे दिन परिवार का मुखिया पशुओं की पूजा करता है तथा “खिचड़ी” खिलाता है। तीसरे दिन ग्राम के “गोठान” की पूजा के लिए ग्रामवासी एकत्र होते हैं तथा पूजा उपरांत मनोरंजक खेल खेलते हैं।

दृ छेरछेरा

छेरछेरा त्यौहार पूस माह की पूर्णिमा को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह कृषि वर्ष की समाप्ति तथा नये कृषि वर्ष के प्रारंभ की खुशी का पर्व है, इन दिन “कमिया” (वार्षिक मजदूर) की कार्य की अवधि पूर्ण माना जाता है। भतरा जनजाति के सदस्य समूह में गांव के घर-घर जाकर “छेरछेरा” गीत व नृत्य करते हुए अनाज तथा रूपये मांगते हैं। इसके बाद बकरा या मुर्गा की बलि देकर भोजन बनाते हैं और खुशियां मनाते हैं।

उपरोक्त त्यौहारों के अतिरिक्त भतरा जनजाति के सदस्य बाह्य समाजों से संपर्क के फलस्वरूप होली, दीपावली, रक्षाबंधन, तीजा आदि त्यौहार मनाने लगे हैं।

6.3 आत्मा

भतरा जनजातीय धर्म का एक पक्ष आत्मा आधारित है अर्थात् भतरा आत्मा में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है कि आत्मा सदैव जीवित रहती है और अलग-अलग शरीर के माध्यम से उनका परिवार के सदस्य या अन्य रूपों में पुनर्जन्म होता है या वे पितर आत्मा के रूप में अपने वंशजों की सुरक्षा एवं मार्गदर्शन करती हैं।

भतरा परिवार में मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति की आत्मा को पूर्वजों की आत्मा से मिलाकर “झूमाघर” (पूजा कक्ष) में स्थापित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी प्रकार परिवार में बच्चे के जन्म होने पर नामकरण के पूर्व अनेक विधियों से उस बच्चे के पूर्व जन्म का नाम तथा पूर्वज को ज्ञात किया जाता है।

6.4 भूत-प्रेत

भतरा जनजाति में मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति की आकस्मिक, दुर्घटनावश, आयु पूर्ण होने से पूर्व मृत्यु हो जाते हैं या कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है या मृत्यु के स्थान पर वास करने लगता है। जो कोई भी उसके संपर्क में आता है आत्मा उसे तंग करता है। इसकी कारण भतरा समाज में इस प्रकार से मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार की अलग प्रक्रिया है, जिससे यदि संभव हो तो आत्मा मुक्त हो जाये। भतरा सदस्य इस प्रकार की बुरी आत्माओं को

भूत, प्रेत आदि नामों से जानते हैं।

भूत—प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति असामान्य हरकते करता है। गर्भवती व नवजात शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, शरीर सूखने लगता है। ऐसी स्थिति में बचाव के लिए भतरा सदस्य “पुजारी”, “सिरहा” की शरण में जाते हैं। और वह विभिन्न विधियों से व्यक्ति को प्रभाव मुक्त करता है।

6.5 जादू—टोना

भतरा जनजाति क्षेत्र में जादू—टोना का प्रचलन है। जादू—टोना करने वाले व्यक्ति विभिन्न साधना के माध्यम से अति मानवीय शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर विरोधियों के अहित करने का प्रयास करते हैं। जादू—टोना करने वाले पुरुष को “पंगनाहा” स्त्रियों को “पंगनिहीन” कहते हैं। “पंगनाहा” तथा “पंगनिहीन” अपने जादू के माध्यम से दूसरे को तंग करते हैं, जिससे वह प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रभाव मुक्त होने के लिए भतरा सदस्य “पुजारी”, “सिरहा”, “गुनिया” की शरण में जाते हैं और वह विभिन्न विधियों से व्यक्ति की सुरक्षा करता है।

6.6 विभिन्न सम्प्रदायों का प्रभाव

भतरा धार्मिक जीवन में अन्य समाजों से संपर्क का गहन प्रभाव दिखाई देता है। भतरा जनजाति के साथ ग्राम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, धाकड़, सुण्डी, राउत, माहरा, पनका, घसिया, लोहार आदि जनजातियों भतरा, मुरिया, धुरवा आदि जनजातियाँ निवास करने के कारण एक—दूसरे की देवी—देवता, त्यौहार विधि को अंगीकृत कर चुके हैं।

भतरा जनजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, धाकड़, राउत आदि जनजातियों के साथ निवास करने के कारण हिन्दू देवी—देवता की पूजा, व्रत एवं त्यौहार मनाने लगे हैं। जिसके कारण धार्मिक जीवन में हिन्दू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है।

भतरा जनजाति के सदस्य कहीं—कहीं इसाई धर्म के प्रभाव में भी आते दिखते हैं।

अध्याय - सात

लोक परम्परायें

“कावनी—किस्सा “कहका”, “धान्दा”, “नाचा गाआ”

भतरा जनजाति के लोक जीवन में (लोककथा), (लोक कहावत), (पहेली), (नृत्य—संगीत) का विशिष्ट स्थान है। भतरा सदस्य जीवन की क्रियाओं को सरल, सुगम एवं रूचिपूर्ण बनाने के लिए तथा मनोरंजन के उद्देश्य से लोककथा, लोक कहावत, पहेली, गीत—संगीत, नृत्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण अवसरों से पारंपरिक रूप से जुड़ा है। भतरा जनजाति के लोक परंपराओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है—

7.1 कावनी—किस्सा

भतरा जनजाति में आपसी संवाद के दौरान कहावतों का प्रयोग करते हैं। कहावत को भतरा जनजाति के सदस्य “कहका” कहते हैं। आपसी बातचीत में प्रयुक्त कुछ लोक कहावत निम्न हैं—

1. घरे नहीं रादा, दुआरे भैंसा बांदा ।
2. बुता सरला मोर, फटई सकल तोर ।
3. पर भरसा, न कर आसा ।
4. लिटी बार पुटी, सोला गागरी तेल ।

7.2 “धान्दा”

1. आये मिलकी, जाये मिलकी, मिलकीर खोज नाई ।

उत्तर—नाव (डोंगा)

2. खेकसी, कुंदरू, लेपसी मांडो, मांगला टाककसन छाण्डो ।

उत्तर—तंबाकू (धुंगिया)

3. पोड़ायला कुकड़ा, गचे—गचे डोगाये ।

उत्तर—कुल्हाड़ी (टंगिया)

4. पोलका गचे, नड़िया नाचे ।

उत्तर—(लाई) मुर्गा

5. सुरु असन डोंगरी, दुई बाटे लेंगड़ी ।

उत्तर—हाथी

6. तोके दखबी मुई, मोके न दख तुई ।

उत्तर—दर्पण

7. सुरु असन टोकी, भारायक दातून करे ।

उत्तर—चूल्हा (चूला)

8. इति गुड़—गुड़, बस्तर दुला ।

उत्तर—बंदूक

9. इलगे रा रे तुर तुरी, मुई जीबी रतनपुर ।

उत्तर—पदचिन्ह (गोड़र चिन्हा)

7.3 “गीत”

भतरा जनजाति में जीवन संस्कार, आर्थिक कार्य, धार्मिक जीवन से संबंधित गीत प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ का वर्णन निम्नांकित है –

7.3.1 “बिहा गीत”

भतरा जनजाति में विवाह के रस्मों से संबंधित गीत प्रचलित है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न है –

1. मउड़ बांधनी गीत— (मुकुट बांधने का गीत)

बाटर छिंदि बूटा रोजो—रोजो कांदे, ना कांद रे नोनी बूटा मामा मउड़ बांदे ।

ना कांद रे नोनी बूटा मामा मउड़ बांदे ।

बाटरछिंदि बूटा रोजो—रोजो कांदे, ना कांद रे नोनी बूटा आया मउड़ बांदे ।

ना कांद रे नोनी बूटा आया मउड़ बांदे ।

बाटर छिंदि बूटा रोजो—रोजो कांदे, ना कांद रे नोनी बूटा पुजारी मउड़ बांदे ।

ना कांद रे नोनी बूटा पुजारी मउड़ बांदे ।

2. तेल चिघानी गीत— (तेल चढ़ाने का गीत)

चेघ—चेघ बाबा तोरो मोरो तेलो, ऐही तेलो काजे बाबा मुड़े रिसे लारो ।

चेघ—चेघ बाबा तोरो मोरो तेलो, ऐही तेलो काजे आया मुड़े रिसे लारो ।

चेघ—चेघ बाबा तोरो मोरो तेलो, ऐही तेलो काजे बेटी मुड़े रिसे लारो ।

चेघ—चेघ बाबा तोरो मोरो तेलो, ऐही तेलो काजे दादा मुड़े रिसे लारो।

3. “कोटीनी गीत” (सवाली गीत)

कोटीनी गीत विवाह में लगन के रस्म के दौरान पुरुष एवं स्त्रियों के मध्य प्रश्नोत्तर के रूप में गाया जाता है। कोटीनी गीत में परिहास के रूप में अपशब्द का भी प्रयोग होता है।

7.3.2 सायलोड़ी गीत

भतरा जनजाति में दशहरा के समय गांव में लड़कियों के दो समूह के मध्य सायलोड़ी गीत गाया जाता है। इनमें प्रांभ में “खेलूं—खेलूं गीत” गाते हैं। इसके बाद दोनों समूह के मध्य प्रश्न—उत्तर के रूप में गाया जाता है। यह गीत पूरी रात गाया जाता है।

उपरोक्त गीतों के अलावा परब गीत, डंडारी गीत, छेरछेरा गीत आदि गीत भी गाये जाते हैं।

7.4 “नाचा”

भतरा जनजाति में डंडारी नृत्य, छेरछेरा नृत्य, विवाह नृत्य आदि अलग—अलग अवसरों पर मनोरंजन तथा पंरपरा के रूप में किये जाते हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है—

7.4.1 डंडारी नाचा

भतरा जनजाति में डंडारी नृत्य प्रतिवर्ष होली के समय अर्थात् फागुन मास में किया जाता है। डंडारी नृत्य में 20 से 30 नर्तक होते हैं, जो धेरा बनाकर गोल घुमते हुए नृत्य करते हैं, कुछ नर्तकों के हाथों में हिरण का सींग होता है, जिसे वे नृत्य के दौरान ऊपर की ओर उठाये रहते हैं। कुछ नर्तकों के हाथों में छोटे—छोटे डंडे “डंडार” होता है, जिसे वे नृत्य के दौरान विभिन्न प्रकार से बजाते रहते हैं। धेरे के भीतर कुछ वादक ढोल बजाते हैं।

7.4.2 छेरका नाचा

छेरका नृत्य, छेरछेरा त्यौहार में किया जाता है। इसमें भतरा जनजाति के सदस्य समूह में गांव के घर—घर जाकर “छेरछेरा” गीत व नृत्य करते हुए अनाज तथा रूपये मांगते हैं। एक दो या अधिक सदस्य चेहरे पर रंगों को पोते हुए होते हैं या मुखौटा पहने होते हैं व कमर में घुंघरू बंधा रहता है। पीछे खड़े सदस्य छेरका गीत

अध्याय - आठ

आर्थिक जीवन

भतरा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत हैं। यह क्षेत्र मैदानी तथा वनयुक्त होने के कारण भतरा जनजाति के सदस्य बहु-स्तरीय आर्थिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। भतरा जनजाति के सदस्य कृषि मजदूरी, संकलन, मछली मारना, पशुपालन आदि कार्यों में संलग्न है। भतरा जनजाति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपरोक्त साधनों पर निर्भर हैं। इनमें प्रचलित अर्थव्यवस्था का विवरण निम्नानुसार है—

8.1 सम्पत्ति

भतरा जनजाति में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधनों को सम्पत्ति माना जाता है। सम्पत्ति स्वर्जित एवं पूर्वजों से हस्तांतरण द्वारा प्राप्त होती है। भतरा जनजाति में स्वामित्व के आधार पर सम्पत्ति को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

8.1.1 सामूहिक सम्पत्ति

ग्राम, मंदिर, तालाब, चारागाह आदि तथा ग्राम के भौगोलिक-राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नदी-नाले, वन, पहाड़ आदि समुदाय की सामूहिक सम्पत्ति माना जाता है।

8.1.2 पारिवारिक सम्पत्ति

परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्जित सम्पत्ति, पारिवारिक सम्पत्ति माना जाता है। इसमें पारिवारिक विभाजन से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति भी शामिल है। इसके अंतर्गत मकान, पशु, भूमि, अनाज, बैलगाड़ी आदि आते हैं।

8.1.3 व्यक्तिगत सम्पत्ति

स्वयं के उपयोग हेतु अर्जित अथवा क्रय किया गया या स्वतः प्राप्त वस्तु सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति माना जाता है। इसमें कृषि उपकरण, शिकार के उपकरण, घड़ी, सायकल आदि शामिल हैं।

8.3 प्राथमिक एवं द्वितीयक व्यवसाय

भतरा जनजाति पितृ सत्तात्मक समाज होने के कारण सम्पत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्रों को होता है। भतरा जनजाति में ज्येष्ठाधिकार की प्रथा है, जिसके अंतर्गत सबसे बड़े पुत्र को परिवार का भावी मुखिया होने एवं पारिवारिक, सामाजिक कार्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी होने के कारण सम्पत्ति का कुछ या एक हिस्सा ज्यादा देते हैं। शेष सभी भाईयों को समान वितरण होता है। सम्पत्ति के विभाजन में यदि माता—पिता जीवित हो तो एक भाग देते हैं, जिसमें छोटा या बड़ा पुत्र कृषि करता है, माता—पिता की मृत्यु के पश्चात् यह हिस्सा सभी भाईयों में समान बांटा जाता है।

8.4 आर्थिक संरचना

भतरा जनजाति की आर्थिक संरचना मनुष्य एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का प्रतीक है, अर्थात् वनों में बसे भतरा ग्रामों की अर्थव्यवस्था प्रकृति पर आधारित है, वर्तमान में बाह्य सम्पर्क में वृद्धि के कारण नवीन आर्थिक स्त्रोतों का सृजन भी हुआ है। भतरा आर्थिक संगठन में लिंग—आयु आधारित श्रम विभाजन पाया जाता है तथा सम्पूर्ण परिवार उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करता है। भतरा जनजाति के आर्थिक संरचना का विवरण निम्न है—

8.4.1 कंदमूल एवं वनोपज संकलन

भतरा जनजाति में उपभोग एवं विक्रय हेतु कंदमूल एवं वनोपज संकलन किया जाता है। संकलन का कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है। संकलन कार्य किशोर, युवा एवं वयस्क स्त्री—पुरुष द्वारा किया जाता है। संकलन कार्य सुबह 3—5 घण्टे किया जाता है। भतरा जनजाति के सदस्य नुआखानी त्यौहार के बाद ही जंगल से कंदमूल संकलन करते हैं। संकलन कार्य “टंगिया” (कुल्हाड़ी) “गोपा” (टोकनी) “साबली” (सब्बल) की सहायता से किया जाता है। भतरा सदस्य वन से कंदमूल, फल—फूल, पत्ते, जड़ आदि का संकलन करते हैं। उपभोग हेतु किये जाने वाले संकलन का विवरण सारणी क्रमांक 8.1 में प्रदर्शित किया गया है—

सारणी क्र. 8.1 उपभोग हेतु संकलन का विवरण

क्र.	वनस्पति का भाग	वनस्पति का नाम
1	कंद—मूल	सरोंदा कांदा, तरगिया कांदा, टोंडरी कांदा, कडु कांदा, पीता कांदा, चेर कांदा, सीका कांदा, करील (बास्ता) आदि।
2	भाजी	कोलियारी, पतरानी, फूललाटा, भेलवां भाजी, फूलभाजी, घिरी भाजी, चरोटा भाजी आदि।
3	फूल	गिरुल फूल, इमली फूल, महुआ।
4	फल	आम, इमली, टोरा, तेन्दू भेलवां, चार, जामुन, आंवला, हर्रा, बेहड़ा कुसुम आदि।
5	मशरूम	बोड़ा, जात बोड़ा, फुटू सरगी फुटू आदि।

सारणी क्र. 8.2 उपयोग या विक्रय हेतु संकलन का विवरण

क्र	वनस्पति का भाग	उपयोग	पौधे / वृक्ष का नाम
1	छोटी शाखा	दातौन	साल, जामुन, करंज।
2	पत्ता	विक्रय पत्तल—दोना	साल, मोहलई, महुआ, तेन्दूपत्ता
3	फूल	मादक पेय / खाद्य	महुआ
4	फल व बीज	तेल, विक्रय एवं औषधीय	तेन्दू आम, जामुन, इमली, आंवला, चार, टोरा, करंजी, कुसुम।
5	छाल व जड़	रस्सी	सियाड़ी, बगई, सीसल
6	स्त्रावित द्रव्य	गोंद एवं धूप	धवड़ा, साजा, बेहड़ा, कुल्लू चार।
7	पौधा	झाड़ू	फूल बाड़नी, झिटका दाब, खरला कांटा, सोम बाड़नी, टिया बाड़नी।
8	तना	वस्तु जलाऊ व गृह निर्माण	साल, साजा, धवड़ा, फरसा, बांस आदि।

भतरा जनजाति के सदस्य लगभग पूरे वर्ष संकलन का कार्य सहायक आर्थिक क्रिया के रूप में करते हैं, उपभोग हेतु संकलन मुख्यतः जुलाई—अगस्त से जनवरी—फरवरी तक तथा उपयोग या विक्रय हेतु संकलन वर्ष की शेष अवधि में किया जाता है।

8.4.2 पारदी (शिकार)

भतरा जनजाति के आर्थिक संरचना में शिकार एक महत्वपूर्ण भाग है। शिकार मांस प्राप्ति के साथ—साथ बहादुरी एवं सामूहिकता का परिचायक है। शिकार संकलन के साथ, “पारदी” या वार्षिक सामूहिक शिकार तथा खाली समय में किया जाता है। वर्तमान में शिकार पर शासकीय प्रतिबंध होने के कारण अल्प प्रचलित है। शिकार हेतु तीर—धनुष, गुलेल, “टंगिया” (कुल्हाड़ी), “तब्बल” (फरसा) एवं अनेक प्रकार के जाल आदि हथियारों का प्रयोग किया जाता है। भतरा जनजाति में शिकार में व्यक्तियों की संलग्नता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

अ. एकल शिकार

भतरा जनजाति के सदस्य खाद्य संकलन के साथ एकल शिकार करते हैं। वे “खरहा” (खरगोश) पंडकी, लावा (बटेर) आदि पशु—पक्षियों का शिकार करते हैं। यह शिकार फसल कटने अर्थात् शीत ऋतु के प्रांरभ से गर्मियों तक किया जाता है। अपने अनुभव के आधार पर भतरा सदस्य पशु—पक्षियों की अधिकता या पदचिन्हों के आधार पर उनके जाने का मार्ग ज्ञात कर लेते हैं एवं उनका शिकार करते हैं। एकल शिकार हेतु “गुलेर” (गुलेल) धनुकाण्ड (तीर—धनुष), “टंगिया” (कुल्हाड़ी) तथा अनेक प्रकार के “जाली” (जालों) का प्रयोग करते हैं।

ब. सामूहिक शिकार

भतरा जनजाति के सदस्य गर्मियों में “पारदी” या वार्षिक सामूहिक शिकार करते हैं। इसमें ग्राम के सभी युवा पुरुष सदस्य शामिल होते हैं। इसमें जानवर को भगा—भगाकर शिकार करते हैं। इसमें एक दिशा के सदस्य पशुओं को भगाकर लाते हैं तथा दूसरे समूह के सदस्य शिकार करते हैं। वर्तमान में सामूहिक शिकार पर प्रतिबंध होने से सिर्फ परम्परा का निर्वहन हेतु बीज पूरनी त्यौहार के दिन प्रतिकात्मक तौर से जारी है।

8.4.3 मत्स्य आखेट

भतरा जनजाति के स्त्री—पुरुष वर्षा एवं शीत ऋतु में नदी—नाला, तालाब तथा खेत में एकल या सामूहिक रूप से मछली मारने का कार्य करते हैं। मछली मारने का कार्य उपभोग हेतु किया जाता है। मछली मारने का कार्य दोपहर या शाम को किया जाता है। मछली मारने के लिए गरी—लाट, पेलना, खूटन, जाल आदि का प्रयोग करते हैं। महिलायें “छिछाई” विधि से गड़डे या डबरा से पानी फेंककर मछली पकड़ती हैं। सामूहिक रूप में प्राप्त मछली का समान वितरण किया जाता है, किन्तु मछली जाल के स्वामी को एक भाग अतिरिक्त दिया जाता है। भतरा सदस्य टेंगना, मोंगरी, खोकसी, बाम्बी आदि मछलियों के साथ—साथ केकड़ा, कछुआ आदि जलीय जीव का शिकार करते हैं।

8.4.4 कृषि

कृषि भतरा जनजाति के आर्थिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कृषि परिवार या व्यक्ति द्वारा किया जाता है। भतरा अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भतरा सदस्यों द्वारा घर के समीप बाड़ी में, खेतों में तथा मरहान में अनाज, दाले, तथा सब्जियों का उत्पादन करते हैं। भतरा जनजाति की कृषि मानसूनी वर्षा पर आधारित है। भतरा सदस्य पूर्व में “डाही” या स्नानांतरित कृषि करते थे। वर्तमान में पूर्णतः स्थायी कृषि करते हैं। भतरा जनजाति की कृषि पद्धति का विवरण निम्नांकित है—
अ. भूमि भतरा परिवार में भूमि का स्वामित्व—स्वर्जित या पैतृक सम्पत्ति के विभाजन से प्राप्त है। भतरा निवास क्षेत्र में रेतीली लाल मिट्टी की अधिकता है। सर्वेक्षित परिवारों में उपरोक्त भूमि की धारिता को सारणी क्रमांक 8.3 में दर्शाया गया है।

सारणी क्र. 8.3 भतरा परिवारों में भूमि धारिता

क्र.	भूमि धारिता	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	भूमिधारी	168	84
2	भूमिहीन	32	16
	योग	200	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 84.00 प्रतिशत भतरा परिवारों में कृषि भूमि है, जबकि 16.00 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं।

भतरा जनजाति में भूमि धारकों की प्रतिशतता अधिक है, किन्तु ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्रों में भूमि का असमान वितरण पाया जाता है। उत्पादन में भिन्नता दिखाई देने का एक मुख्य कारण असमान कृषि भूमि का वितरण है। सर्वेक्षित परिवारों में भूमि धारिता का विवरण सारणी क्र. 6.4 में दर्शाया गया है –

सारणी क्र. 8.4 भतरा परिवारों में कृषि भूमि का वितरण

क्रं.	भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	परिवार		कुल भूमि (एकड़ में)	भूमि/परिवार (एकड़ में)
		संख्या	प्रतिशत		
1	भूमिहीन	32	16.00	-	
2	3 एकड़ तक	122	61.00	225.20	
3	3–5	24	12.00	95.30	
4	5 से अधिक	22	11.00	202.00	
	योग	200	100.00	522.50	3.11

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित भतरा परिवारों में सर्वाधिक 61.00 प्रतिशत परिवारों में 3 एकड़ तक तथा न्यूनतम 11.00 प्रतिशत परिवारों में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है। इस प्रकार सर्वेक्षित परिवारों में कुल 522.50 एकड़ भूमि पाया गया अर्थात् प्रति परिवार भूमि धारिता 3.11 एकड़ पाया गया।

8.4.5 फसल

भतरा जनजाति अनाज, दालें व सब्जियों का उत्पादन कर अपनी दैनिक वार्षिक खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। भतरा परिवार अपनी आवश्यकता मौसम एवं भूमि के अनुसार एक निश्चित फसल चक्र का पालन करते हैं।

धान, भतरा जनजाति का मुख्य उपज है, धान की पैदावार मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। फसल कटने के पश्चात् गीले खेत की जुताई करके छोड़ देते हैं। इसके पश्चात् बैसाख माह से खेत की मरम्मत, मेड़ बनाने एवं जुताई का कार्य प्रांभ करते हैं। इसके पश्चात् उत्पादन वृद्धि के लिए गोबर खाद डालते हैं, पूर्व में खाद के लिए

वन से सूखी पत्तियां या वृक्ष की शाखायें लाकर खेत में जला देते थे एवं राख को पूरे खेत में बिखेर देते थे। भतरा कृषकों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग किया जाता है। अर्थात् परम्परागत हल-बैल, खाद विधि से ही कृषि किया जाता है। भतरा सदस्यों द्वारा कृषि भूमि के आधार पर प्रयुक्त धान की देशी किस्मों का विवरण सारणी क्रमांक 8.5 दर्शाया गया है :—

सारणी क्र. 8.5 कृषि भूमि अनुसार प्रयुक्त धान की किस्म का वितरण

क्रं.	कृषि भूमि	धान की देशी किस्में
1	गभार/धार	गुरमुटिया, गाड़ा खूंटा, बासनी मुड़ी, बयकाना बांउस-बस, सफरी आदि।
2	खारी	सफरी आई.आर. 64 बमलेश्वरी, हजारी आदि।
3	टिकरा	स्कुली, मुंडी, पारा धान, माटी धान आदि।
4	मरहान	मेहर माटी धान, घोटिया आदि।

भतरा जनजाति के सदस्य धान के साथ-साथ मक्का, मंडिया, कोसरा, सरसों, उड़द, राहर, कुल्थी, तिल आदि फसल उत्पादित करते हैं। जिसके उत्पादन में भतरा जनजाति के कृषक मई-जून से दिसम्बर-जनवरी तक लगभग आठ माह संलग्न रहते हैं।

8.4.6 पशुपालन

पशुपालन भतरा जनजाति की सहायक आर्थिक क्रिया है। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य, मांस, धार्मिक कार्य एवं आर्थिक लाभ है। भतरा परिवारों में गाय, बैल, बकरा-बकरी, भैंस, भैंसा मुर्गी-मुर्गा, बतख आदि पशुओं का पालन किया जाता है।

8.4.7 मजदूरी

भतरा जनजाति के सदस्य वन आधारित आर्थिक स्त्रोतों की कमी होने के कारण कृषि, निर्माण आदि क्षेत्रों में मजदूरी करने लगे हैं। शासकीय मजदूरी कार्य में

शासकीय दर से मजदूरी प्राप्त होती है। भतरा जनजाति ग्रामों में कृषि मजदूरी के निम्न स्वरूप दिखाई देते हैं।

अ. दैनिक मजदूरी

भतरा सदस्य खेत की मरम्मत, निंदाई, कटाई, मिंजाई आदि कार्य में दैनिक मजदूरी पर जाते हैं। दैनिक मजदूरी में स्त्री-पुरुष दोनों कार्य करते हैं। लेकिन मजदूरी दर में लिंगधारित भिन्नता पाया जाता है, अर्थात् पुरुषों को 80–100 रुपये एवं स्त्रियों को 50–60 रुपये दैनिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है। दैनिक कृषि मजदूरी कार्य वर्ष में 30–60 दिन उपलब्ध होता है।

ब. शासकीय मजदूरी

भतरा सदस्य स्थानीय ग्राम पंचायत, निर्माण कार्य तथा वन विभाग में मजदूरी कार्य करते हैं। जिसमें शासकीय दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इन्हे वर्ष में लगभग 30–100 दिनों तक शासकीय मजदूरी कार्य उपलब्ध होता है।

स. “कमिया” (वार्षिक मजदूरी)

भतरा जनजाति में वार्षिक मजदूरी को “कमिया” कहते हैं। “कमिया” अर्थात् वार्षिक मजदूर 10 माह अर्थात् जेठ-आषाढ़ से माघ-फागुन तक रखते हैं। इसमें वार्षिक मजदूरी दर 50–70 खंडी धान, एक पहर का भोजन, कपड़ा तथा दैनिक उपयोगी वस्तुएं है। नियम व शर्त तय होने के उपरांत “कमिया” भूमि स्वामी के घर कार्य करने लगता है उसे कृषि व घर का कार्य करना पड़ता है। “कुड़ही खाया कमिया” दिन में रहता है। इसमें वार्षिक मजूदरी दर 30–40 खंडी धान, एक पहर का भोजन, कपड़ा तथा दैनिक उपयोगी वस्तुएं हैं। “कमिया” आवश्यकतानुसार अग्रिम ले सकता है। जिसे अंतिम भुगतान में से घटा दिया जाता है। यदि “कमिया” तय अवधि के मध्य में काम छोड़ देता है तो किये गये कार्य अवधि का पारिश्रमिक देते हैं।

8.4.7 नौकरी

भतरा जनजातीय कुछ सदस्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् शिक्षक, शिक्षाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भूत्य आदि पदों पर नौकरी करने लगे हैं। नौकरी के कारण भतरा परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

8.4.8 अन्य स्त्रोत

भतरा जनजाति के सदस्य स्व सहायता समूह, सरकारी समिति, व्यवसाय, ठेकेदारी आदि कार्यों के द्वारा भी आय प्राप्त कर रहे हैं। भतरा जनजाति के अनेक परिवार के वृद्ध सदस्यों को पेंशन भी प्राप्त हो रहा है। यह भतरा परिवारों के परम्परागत आर्थिक स्त्रोतों के अतिरिक्त अन्य आय स्त्रोत है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग प्राप्त होता है।

8.4.9 वार्षिक आय—व्यय

अ. समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय

सर्वेक्षित भतरा परिवारों को समस्त स्त्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय को सारणी क्रमांक 8.6 में दर्शाया गया है।

सारणी क्र-8.6

समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण

क्र.	आय वर्ग (रुपये में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	10000 से कम	3	3.00
2	10000–20000	48	48.00
3	20000–30000	31	31.00
4	30000–40000	7	7.00
5	40000–50000	7	7.00
6	50000 से अधिक	4	4.00
	योग	100	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि समस्त स्त्रोतों से सर्वाधिक 48.00 प्रतिशत परिवारों को 10000–20000रुपये के मध्य वार्षिक आय पाया गया, जबकि न्यूनतम 4.00प्रतिशत परिवारों को 50000 से अधिक रुपये वार्षिक आय प्राप्त हुआ।

ब. वार्षिक आय में विभिन्न स्त्रोतों की अंशधारिता

सर्वेक्षित भतरा परिवारों के प्राप्त वार्षिक आय में विभिन्न स्त्रोतों की अंशधारिता को सारणी क्र 8.7 में दर्शाया गया है—

सारणी क्र-8.7 वार्षिक आय में विभिन्न स्त्रोतों की अंशधारिता

क्रं.	स्त्रोत	वार्षिक आय		संलग्न परिवार	प्रति परिवार औसत वार्षिक आय
		रूपये	प्रतिशत		
1	वनोपज	72380	2.7662	146	13083
2	पशुधन	3600	0.1376	141	
3	कृषि	403700	15.428	90	
4	कृषि मजदूरी	301720	11.531	128	
5	अन्य मजदूरी	616000	23.542	136	
6	नौकरी	428200	16.365	18	
7	पेंशन	648000	24.765	170	
8	अन्य	143000	5.4651	78	
	योग	2616600	100.00	907	

(कुल सर्वेक्षित परिवार संख्या 200)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों के वार्षिक आय में सर्वाधिक 35.07 प्रतिशत आय कृषि एवं अन्य मजदूरी से प्राप्त होता है, 16.37 प्रतिशत आय नौकरी से 15.43 प्रतिशत कृषि से, पेंशन से आय 24.77 प्रतिशत, वनोपज संग्रहण से 2.77 प्रतिशत, पशुधन से 0.14 प्रतिशत तथा अन्य स्त्रोत से आय 5.47 प्रतिशत है। इस प्रकार विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय के आधार पर प्रति परिवार औसत वार्षिक 13083 रूपए है।

8.4.10 ऋणग्रस्तता

भतरा जनजाति में पारिवारिक, कृषि, स्वास्थ्य, भूमि, पशु क्रय कार्यों के लिए ऋण लेते हैं। ऋण के रूप में भतरा परिवार धन, वस्तु, सामग्री तथा अनाज लेते हैं। यह ऋण संबंधियों, साहूकार, सहकारी संस्थाओं तथा बैंक से लेते हैं। सर्वेक्षित भतरा परिवारों में ऋण की स्थिति निम्नांकित है—

अ. ऋण की स्थिति

सर्वेक्षित भतरा जनजातीय परिवारों में ऋण की स्थिति को सारणी क्रमांक-8.8 में दर्शाया गया है—

सारणी क्र-8.8 ऋण की स्थिति

क्रं.	ऋण की स्थिति	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	24	12.00
2	नहीं	176	88.00
	योग	200	100.00

सर्वेक्षित परिवारों में से 12.00 प्रतिशत परिवारों ने ऋण लिया है जबकि 88.00 प्रतिशत परिवारों ने ऋण नहीं लिया।

ब. ऋण का उद्देश्य

सर्वेक्षित भतरा जनजातीय परिवारों में ऋण का उद्देश्य को सारणी क्रमांक-8.9 में दर्शाया गया है—

सारणी क्र-8.9 ऋण का उद्देश्य

क्रं.	ऋण का उद्देश्य	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	कृषि कार्य	10	41.67
2	पारिवारिक कार्य	4	16.67
3	भूमि कार्य	3	12.50
4	बैल क्रय	2	8.33
5	अन्य	5	20.83
	योग	24	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 41.67 प्रतिशत परिवारों ने कृषि कार्य हेतु तथा न्यूनतम 8.33 प्रतिशत ने बैल क्रय हेतु ऋण लिया है। 16.67 प्रतिशत परिवारों ने पारिवारिक कार्य, 12.50 प्रतिशत परिवारों ने भूमि कार्य तथा 20.83 प्रतिशत परिवारों ने अन्य हेतु ऋण लिया है।

स. ऋण का स्त्रोत

सर्वेक्षित भतरा जनजातीय परिवारों में ऋण का स्त्रोत को सारणी क्रमांक 8.10 में दर्शाया गया है—

सारणी क्र-8.10 ऋण का स्त्रोत

क्रं.	ऋण का स्त्रोत	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	सहकारी बैंक	11	45.83
2	साहूकार	6	25.00
3	रिश्तेदार	7	29.17
	योग	24	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में से सर्वाधिक 45.83 प्रतिशत परिवारों ने सहकारी बैंक से तथा न्यूनतम 25.00 प्रतिशत परिवारों ने साहूकार से एवं 29.17 प्रतिशत परिवारों ने रिश्तेदारों से ऋण लिया है। भतरा परिवार सहकारी बैंक से कृषि कार्य हेतु “किसान क्रेडिक कार्ड” अंतर्गत कृषि ऋण प्राप्त करते हैं था फसल के उपरांत ऋण चुका देते हैं।

अध्याय - नौ

शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा आदिकाल से ही मानव समाज के विकास का आधार रहा है, इसलिए शिक्षा को विकास का रीढ़ कहा गया है। आदिवासी समाज में परम्परागत रूप से अनौपचारिक शिक्षा, परिवार, समुदाय द्वारा दी जाती है, जिसका उद्देश्य समाज हेतु योग्य व्यक्तित्व का विकास करना रहा है। जबकि भारत की स्वतंत्रता पश्चात् आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु उनके विकास हेतु शैक्षणिक विकास को मुख्य आधार मानकर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षणिक विकास का प्रयास जारी है, जिससे आदिवासी समाज की शैक्षणिक स्थिति में विकास हो रहा है।

सर्वेक्षित जनजातीय भतरा परिवारों में शैक्षणिक स्थिति का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है—

9.1 साक्षरता**सारणी क्रमांक—9.1 साक्षरता की स्थिति**

क्रं.	स्थिति	पुरुष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	साक्षर	225	55.01	190	43.38	415	49.00
2	निरीक्षर	184	44.99	248	56.62	432	51.00
	योग	409	100.00	438	100.00	847	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में साक्षरता दर 49.00 प्रतिशत तथा 51.00 प्रतिशत सदस्य निरक्षर हैं। पुरुषों में 55.01 प्रतिशत साक्षर तथा 44.99 प्रतिशत निरक्षर पाये गये जबकि स्त्रियों में 43.38 प्रतिशत साक्षर तथा 56.62 प्रतिशत सदस्य निरक्षर पाये गये। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि स्त्री साक्षरता दर की तुलना में पुरुषों की साक्षरता दर लगभग समतुल्य है।

9.2 शैक्षणिक स्थिति

भतरा जनजातीय परिवारों में शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन में साक्षर सदस्यों की स्थिति का समग्र आंकलन किया जा सकता है, जिसे सारणी क्रमांक—9.2 में दर्शाया गया है—

सारणी क्रमांक-9.2

शैक्षणिक स्थिति

क्र.	स्थिति	पुरुष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	अध्ययन जारी	133	32.52	146	33.33	225	26.56
	अध्ययन समाप्त						
2	समाप्त	92	22.49	44	10.05	190	22.43
3	निरक्षर	184	44.99	248	56.62	432	51.00
	योग	409	100.00	438	100.00	847	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में 26.56 प्रतिशत सदस्यों का अध्ययन जारी है तथा 22.43 प्रतिशत सदस्य सुविधा के अभाव, अनुत्तीर्ण होने, अरुचि, पारिवारिक आदि कारणों से अध्ययन छोड़ चुके हैं। सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि 32.52 प्रतिशत पुरुषों की शिक्षा जारी है तथा 22.49 प्रतिशत शिक्षा छोड़ चुके हैं। स्त्रियों में 33.33 प्रतिशत स्त्रियां शालागामी हैं तथा 10.05 प्रतिशत स्त्रियां शिक्षा छोड़ चुकी हैं। उपरोक्त तालिका में 0–5 वर्ष के बालक-बालिकाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है।

9.3 शिक्षा का स्तर

भतरा जनजातीय परिवारों में साक्षर सदस्यों का शैक्षणिक स्तर तथा अध्ययन के जारी व समाप्त के आधार पर विवरण सारणी क्र. 9.3 में दर्शाया गया है—

सारणी क्रमांक-9.3

शिक्षा का स्तर (जारी एवं समाप्त)

क्र.	शैक्षणिक स्तर	अध्ययन									
		जारी				समाप्त				योग	
		पुरुष	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	0— से 05 वर्ष	43	32.33	55	37.67	-	-	-	-	98	23.61
2	प्राथमिक	42	31.58	44	30.14	36	39.13	14	31.82	136	32.77
3	माध्यमिक	18	13.53	22	15.07	25	27.17	15	34.09	80	19.28
4	हाईस्कूल	20	15.04	17	11.64	23	25.00	13	29.55	73	17.59
5	हायर सेकेण्ड्री	6	4.51	8	5.48	6	6.52	1	2.27	21	5.06
6	स्नातक	3	2.26	-	-	2	2.17	1	2.27	6	1.45
7	स्नातकोत्तर	1	0.75	-	-	-	-	-	-	1	0.24
	योग	133	100.00	146	100.00	92	100.00	44	100.00	415	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 32.77 प्रतिशत सदस्य प्राथमिक तक शिक्षित हैं तथा न्यूनतम 0.24 प्रतिशत सदस्य स्नातकोत्तर तक शिक्षित हैं। पुरुषों में एक सदस्य स्नातकोत्तर तक उच्च शिक्षित है। तथा एक स्त्री ने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त किया है। पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में स्त्रियों की शिक्षा में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है।

9.4 शाला गामी उम्र (6–14 वर्ष) में शिक्षा की स्थिति

भतरा जनजातीय परिवारों में शालागामी उम्र में साक्षरता दर को सारणी क्र. 9.4 में दर्शाया गया है—

सारणी क्रमांक—9.4
शाला गामी उम्र (06–14 वर्ष) में शिक्षा की स्थिति

क्र.	स्थिति	पुरुष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	साक्षर	86	81.13	71	64.55	157	72.69
2	निरक्षर	20	18.87	39	35.45	59	27.31
योग		106	100.00	110	100.00	216	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि शालागामी उम्र में भतरा जनजाति में साक्षरता दर 72.69 प्रतिशत है। जिसमें पुरुष साक्षरता दर 81.13 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता 64.55 प्रतिशत। इससे यह स्पष्ट है कि शालागामी उम्र में पुरुष एवं स्त्री साक्षरता दर में अंतर कम है। इसी प्रकार निरक्षरता 27.31 प्रतिशत है।

अध्याय - दस

परिवर्तन एवं समस्याएं

भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के समीप होने के कारण उनमें शिक्षा, संचार, आवागमन, बाह्य संपर्क तथा नवीन तकनीकों का प्रसार तेजी से हो रहा है। जिससे भतरा जनजाति के जीवन—शैली, रहन—सहन में परिवर्तन हो रहा है। इन नवीन आयामों के कारण प्राचीन रीति—रिवाज, परम्पराओं एवं भौतिक संस्कृति में बदलाव आने लगा है। भतरा जनजाति के जीवन में परिवर्तन को निम्न बिन्दुओं में दर्शाया गया है—

10.1 परिवर्तन —**10.1.1 भौतिक संस्कृति में परिवर्तन**

- ग्राम** — भतरा ग्रामों में अधोसंरचनात्मक परिवर्तन हुआ है। ग्राम में सीमेंट, सड़कें, नालियाँ, स्कूल भवन, हैण्डपंप, पाईप लाईन द्वारा पेयजल, स्वास्थ्य केन्द्र, राशन दुकान, पक्के सामुदायिक भवन आदि का सुव्यवस्थित विकास होने से भतरा ग्राम की संरचना में परिवर्तन हुआ है।
- आवास** — भतरा ग्रामों में पंरपरागत आवास के स्थान पर नवीन शैली के अर्ध—पक्के तथा पक्के आवास का निर्माण होने लगा है। आवास निर्माण हेतु पक्की ईंट, सीमेंट, सीमेंट या स्टील की शीट, रेत, बड़ी खिडकियों का उपयोग करने लगे हैं। कुछ भतरा घरों में शौचालयों, पक्के फर्श तथा प्रकाश हेतु विद्युत व्यवस्था भी करने लगे हैं। घरों की पुताई हेतु चूने के साथ रंग, डिस्ट्रेम्पर, पेंट का प्रयोग भी करने लगे हैं।
- दैनिक उपयोगी वस्तुएं** — भतरा परिवारों में आधुनिक दैनिक उपयोगी वस्तुओं का समावेश होने लगा है। भतरा सदस्य शीतकाल में—ऊनी कपड़े, जैकेट, शॉल, ग्रीष्मकाल में—टोपी, गमछा, धूप चश्मा तथा वर्षाकाल में छाता, रैनकोट, जूते चप्पल आदि का उपयोग करने लगे हैं। घर में प्लास्टिक की चटाई, प्लास्टिक कुर्सियाँ, दीवाल घड़ी, रेडियो, टी.व्ही., डिश, मोबाईल, पंखा आदि का उपयोग भतरा जनजाति की दैनिक उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।

iv. रसोई की वस्तुएं—भतरा जनजाति के रसोई में भोजन बनाने हेतु मिट्टी के बर्तनों तथा भोजन करने के लिए दोना—पत्तल का उपयोग किया जाता था। वर्तमान में भतरा जनजाति के पूर्वोक्त वस्तुओं के साथ—साथ ऐल्युमिनियम, स्टील, पीतल, कांसा के बर्तनों का उपयोग भी करने लगे हैं।

v. वस्त्र विन्यास एवं साज—शृंगार—भतरा जनजाति के सदस्य शारीरिक स्वच्छता में दांतों की सफाई हेतु दातौन के स्थान पर टूथ—ब्रश व मंजन/पेस्ट, स्नान हेतु साबुन, कपड़े धोने हेतु साबुन या वाशिंग पावडर, तथा बाल नाई से कटाने लगे हैं। वे स्नान के पश्चात् शृंगार हेतु सुगंधित तेल, पॉवडर बिंदिया, फीता, कलीप का उपयोग करते हैं। भतरा जनजाति के स्त्री—पुरुष वस्त्रों में जींस, टी—शर्ट, पैजामा कुर्ता, बरमुडा, सलवार कुर्ता, ब्लाउज आदि का उपयोग करने लगे हैं।

vi. आर्थिक कार्यों से संबंधित वस्तुएं—भतरा जनजाति के सदस्य कृषि हेतु हल—बैल के साथ—साथ टैक्टर, उड़ावनी पंखा, डीजल पम्प, आधुनिक कीटनाशक तथा कीटनाशक यंत्र का उपयोग करने लगे हैं। शिकार तथा मछली मारने का कार्य कम होने के कारण इनसे संबंधित भौतिक वस्तुओं की संख्या में कमी आयी है।

vii. आवागमन के साधन—भतरा जनजाति के सदस्य सायकल, मोटर सायकल, ट्रैक्टर, बस, जीप, कार आदि का उपयोग आवागमन तथा परिवहन के साधन के रूप में करने लगे हैं।

10.1.2 जीवन संस्कार में परिवर्तन—

I. प्रसव कार्य—भतरा जनजाति में प्रसव कार्य पारंपरिक दाई के द्वारा घरों में किया जाता था। किन्तु वर्तमान में प्रशिक्षित दाई, मितानिन या नर्स की देखभाल में प्रसव कराया जाता है। संस्थागत प्रसव पर मिलने वाले आर्थिक लाभ के कारण अस्पताल में होने वाले प्रसव की संख्या में वृद्धि हुई है।

II. नामकरण—नवजात बच्चों के नामकरण में आधुनिकता का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा है।

III. पोषण व टीकाकरण—वर्तमान में आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के कारण भतरा जनजाति के माता व शिशु के पोषण, टीकाकरण की स्थिति में सुधार हो रहा है।

IV. विवाह आयु—पूर्व में भतरा समाज में अल्पायु में विवाह की प्रथा थी, वर्तमान में विवाह आयु में वृद्धि हुई है।

V. वैवाहिक कार्यक्रम—पूर्व में भतरा समाज में वैवाहिक कार्यक्रम पांच से सात दिनों का होता था किन्तु खर्च की अधिकता एवं समयाभाव के कारण वर्तमान में विवाह कार्य तीन दिनों में सम्पन्न होने लगे हैं। इसी प्रकार सहमति विवाह में विवाह पूर्व दस से बारह “माहला” (सगाई) का रिवाज था जिसे तीन दिन में “माहला” (सगाई) में परिवर्तित कर दिया गया है।

VI. उपहार का स्वरूप—भतरा समाज में जन्म तथा विवाह संस्कार में दिये जाने वाले “टिकान” (उपहार) के स्वरूप में परिवर्तन आया है। वर्तमान में भतरा समाज में जन्म तथा विवाह संस्कार में आधुनिक भौतिक वस्तुएं उपहार में देने लगे हैं।

VII. गीत—संगीत—भतरा जनजातीय समाज के सदस्य जन्म एवं विवाह संस्कार में पारम्परिक गीत—संगीत के साथ आधुनिक गीत—संगीत, वाद्य यंत्रों, लाउड स्पीकर का उपयोग करने लगे हैं।

10.1.3 सामाजिक जीवन में परिवर्तन—

I. संयुक्त परिवार का विघटन—भतरा जनजाति में संयुक्त परिवार को आदर्श माना जाता है किन्तु वर्तमान में आपसी तालमेल व सामंजस्य के अभाव में संयुक्त परिवार विघटित होकर एकल परिवार का स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं।

II. पारिवारिक निर्णय—पूर्व में भतरा परिवारों में मुखिया परिवारिक मामलों में निर्णय लेने को स्वतंत्र था किन्तु वर्तमान में पारिवारिक निर्णय आपसी सहमति के आधार पर होने लगे हैं।

III. नियमों में परिवर्तन—अन्तरर्जातीय सम्पर्क बढ़ने से भतरा जनजाति में यात्रा, निवास, खान—पान संबंधी नियमों में परिवर्तन आया है।

10.1.4 आर्थिक जीवन में परिवर्तन—

I. अर्थव्यवस्था में परिवर्तन—भतरा जनजाति की अर्थव्यवस्था में शिकार, मछली मारने का कार्य सीमित होने लगा है तथा गैर शासकीय एवं शासकीय मजदूरी, व्यवसाय तथा शासकीय सेवा के रूप में नये आर्थिक कार्यों का सृजन हुआ है।

II. कृषि में नवीन तकनीकों का समावेश—कृषि क्षेत्र में परम्परागत कृषि के साथ—साथ नवीन तकनीकों जैसे— उर्वरक, कीटनाशक, उड़ावनी पंखा, सिंचाई, ट्रेक्टर आदि तकनीकों का समावेश हुआ है जिससे फसल उत्पादन एवं आय में वृद्धि हुई है।

III. फसल उत्पादन—भतरा जनजाति के अनेक परिवारों में द्वितीय फसल या सब्जियों का उत्पादन व विक्रय भी करने लगे हैं। जिससे भतरा परिवार की आय में वृद्धि हुई है।

IV. संस्थागत ऋण—भतरा जनजाति में कृषि, व्यवसाय, वाहन क्रय आदि पारिवारिक आवश्यकता हेतु संस्थागत ऋण में बढ़ोत्तरी हुई है।

10.1.5 राजनीतिक जीवन में परिवर्तन

भतरा जनजाति के परम्परागत जनजाति पंचायत का प्रभाव सीमित हो गया है। वर्तमान में परम्परागत पंचायत विवाह संबंधी तथा कुछ विशेष मामलों का ही निपटारा करती है। परम्परागत जनजाति पंचायत में स्त्रियों की भूमिका तथा प्रतिनिधित्व नहीं था किन्तु वर्तमान में समाज द्वारा गठित राजनैतिक संगठन में स्त्रियों को स्थान दिया गया है तथा आधुनिक पंचायत में स्त्रियाँ विभिन्न पदों पर आसीन हैं तथा सभा में भाग लेती हैं।

10.1.6 धार्मिक जीवन में परिवर्तन

भतरा जनजाति का धर्म प्रकृति, आत्मा, अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित हैं। वे अपने प्राचीन रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा अनुश्ठान का निर्वहन करते हैं। वर्तमान में हिन्दु जातियों के सम्पर्क में आने के कारण हिन्दु देवी-देवताओं की पूजा तथा ब्रत त्यौहार मनाने लगे हैं जिससे भतरा धार्मिक जीवन में हिन्दू धर्म का प्रभाव दृष्टिगत होता है।

10.1.7 नृत्य संगीत में परिवर्तन

भतरा जनजाति में जीवन संस्कार, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य एवं मनोरंजन हेतु लोक गीत—संगीत का प्रचलन धीरे—धीरे कम हो रहा है। इसके स्थान पर फिल्मी गीत—संगीत, सांउड सिस्टम, टेलीवीजन, सीडी प्लेयर का प्रचलन बढ़ रही है। युवा वर्ग की रुचि लोक गीत—संगीत पर कम हो रही है।

10.1.8 शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन

भतरा जनजाति में शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन आया है। पूर्व में बालिका शिक्षा की दर कम थी जिसमें सुधार हो रहा है। पूर्व में भतरा बालक प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करते थे वर्तमान में ग्राम में या समीपस्थ ग्राम में शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होने के कारण उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

10.2 समस्याएं

भतरा जनजनजाति विकास हेतु प्रयासरत है, निम्न समस्याएं उनके विकास में बाधक सिद्ध हो रही हैं—

10.2.1 सामाजिक समस्याएं

I. अंधविश्वास—भतरा जनजाति अंधविश्वास एवं पुरानी विचारधारा का दबाव अधिक है। नये विचार या नवाचार की स्वीकार्यता विलंब से प्राप्त होती है।

II. नशे की आदत—भतरा जनजाति के सदस्यों में नशे की लत सामाजिक विकास में बाधक है। भतरा स्त्री—पुरुषों द्वारा मादक पदार्थ के रूप में शराब तथा सल्फी रस, छिंद रस का सेवन किया जाता है। जो स्वास्थ्य के साथ—साथ आर्थिक, पारिवारिक तथा सामाजिक रूप में भी नुकसानदायक है।

10.2.2 आर्थिक समस्याएं

I. परिवार का विघटन तथा भूमि का बंटवारा—भतरा परिवारों की कृषि भूमि असिंचित, पारम्परिक पद्धति पर आधारित एक फसली है। परिवार के विघटन तथा भूमि के बंटवारे के कारण प्रत्येक परिवार के पास अपर्याप्त कृषि भूमि होती है। जिसमें उत्पादित फसल वर्ष भर हेतु अपर्याप्त होता है।

II. बेरोजगारी—भतरा परिवारों के सदस्यों को पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने कारण बेरोजगार रहते हैं। शासकीय निर्माण कार्यों में भी कुछ दिन ही रोजगार मिल जाता है।

III. गरीबी एवं ऋणग्रस्तता—भतरा परिवारों में आय अपर्याप्त होने कारण गरीबी व्याप्त है तथा जीवन संस्कार, कृषि रोगग्रस्तता में अधिक व्यय होने के कारण ऋणग्रस्तता भी बनी रहती है।

10.2.3 शैक्षणिक समस्याएं

भतरा जनजाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। अधिकांश सदस्य प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री साक्षरता की दर निम्न है। कुछ भतरा शिक्षा ग्रहण करना समय की बर्बादी तथा आर्थिक नुकसान मानते हैं। इसी कारण बालकों को प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् कृषि संबंधी कार्यों में तथा बालिकाओं को घर व छोटे भाई—बहनों की देखभाल में सलग्न कर देते हैं।

10.2.4 स्वास्थ्य समस्याएं

I. भ्रांतियां तथा अंधविश्वास—भतरा जनजाति में स्वास्थ्य संबंधी अनेक भ्रांतियां तथा अंधविश्वास व्याप्त है। वे रोग ग्रस्त होने की स्थिति में उपचार हेतु झाड़—फूंक एवं देशी इलाज को ही प्राथमिकता देते हैं।

II. अपर्याप्त चिकित्सा सेवाएं—भतरा निवास क्षेत्रों में पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध नहीं है। इस कारण इन क्षेत्र में अनुप्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा रोग का ठेके में उपचार किया जाता है अर्थात् किसी रोग के उपचार राशि पूर्व से तय कर लिया जाता है जो 500—1500 रुपये तक होता है, जिसे रोगी के परिवारजन किश्तों में भुगतान करते हैं। इस प्रकार अयोग्य व्यक्ति के हाथों उपचार करवाकर भतरा सदस्य स्वास्थ्य आर्थिक शोषण का शिकार बनते हैं।

III. घर पर प्रसव—भतरा परिवारों में प्रसव घर ही अप्रशिक्षित पांरपरिक दाई “सुईन” से करवाते हैं जिसे जज्जा—बच्चा दोनों को खतरा बना रहता है।

IV. गर्भवती स्त्रियों द्वारा दवाईयों का सेवन —गर्भवती भतरा स्त्रियों द्वारा आयरन एवं कैल्शियम की गोली का पर्याप्त या नियमित सेवन नहीं किया जाता है।

---000---



छत्तीसगढ़ संवाद